पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 जून, 2022 ई0 (ज्येष्ठ 21, 1944 शक सम्वत्) [संख्या–24

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	573–577	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	593–616	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय संरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	01–02	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	107–130	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

13 अप्रैल, 2021 ई0

संख्या 240/VIII-1/22–70(श्रम)/2001–II–रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र संख्या 1742/XIII-e-9/Admin-A/2005 दिनांक 05.04.2022 एवं मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 1699/XIII-d-1/Admin-A/2022 दिनांक 04.04.2022 के क्रम में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम–1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 वर्ष, 1947) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त), के अधीन श्रमिकों के विवादों के निस्तारण करने हेतु उत्तर प्रदेश, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिकारी (नियुक्ति और नियोजन की शर्तें) नियमावली–1996 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) एवं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 की धारा–89 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में दावों का निस्तारण करने हेतु निम्नवत् तालिका में अंकित न्यायाधीशों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–2 में वर्णित श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में प्रचलित सामान्य शर्तों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र.सं.	न्यायाधीश का नाम/वर्तमान तैनाती का स्थल	नवीन तैनाती का स्थल
1	श्री गुरूबक्श सिंह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रूडकी, जनपद हरिद्वार।	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय हरिद्वार
2	श्री राकेश कुमार सिंह, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल।	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय देहरादून

आज्ञा से,

चन्द्रेश कुमार,
सचिव।

ग्राम्य विकास अनुभाग–1

अधिसूचना

नाम परिवर्तन

06 अप्रैल, 2022 ई0

RDS-01-EST/OTH/11/2022-XI-1–EXTRACT OF PARA 250 OF MANUAL OF GOVERNMENT ORDERS, 1981 EDITION, U.P. GOVERNMENT PUBLICATION में निहित प्राविधानों के आलोक में श्रीमती चन्दा, सहायक परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, अल्मोड़ा का नाम सेवा अभिलेखों में श्रीमती चन्दा फर्त्याल पत्नी श्री त्रिभुवन फर्त्याल लिखे जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

एस0ए0 मुरूगेशन,
सचिव।

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग

पदोन्नति/विज्ञप्ति

19 अप्रैल, 2022 ई0

संख्या 377(i)/XLI-B-1/22-463-प्रशि0/2002-कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के प्रशिक्षण प्रखण्ड के अन्तर्गत कार्यदेशक से प्रधानाचार्य श्रेणी-2 के रिक्त पदों पर पदोन्नति द्वारा चयन हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में दिनांक 10 जनवरी, 2022 को आहूत चयन समिति की बैठक में की गयी संस्तुति दिनांक 02 फरवरी, 2022 के क्रम में कार्यदेशक के पद से प्रधानाचार्य श्रेणी-2 के रिक्त पद पर वेतनमान रू0 56100-177500, पे-मैट्रिक्स लेवल-10 पर निम्नलिखित कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	कार्मिक का नाम/पदनाम	पदोन्नति का पद
1	श्री विरेन्द्र सिंह/कार्यदेशक	प्रधानाचार्य श्रेणी-2
2	श्री देवेन्द्र सिंह निर्खुपा/कार्यदेशक	प्रधानाचार्य श्रेणी-2

2-उक्त कार्मिकों को पदोन्नति के फलस्वरूप प्रधानाचार्य श्रेणी-2 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3-पदोन्नत किये जा रहे कार्मिकों के तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

विजय कुमार यादव,
सचिव।

पशुपालन अनुभाग-03 (मत्स्य)

13 मई, 2022 ई0

संख्या 295/XV-3/2022-02(11)2006-

प्रेषक,

डॉ0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड का संरचनात्मक ढांचा पुनर्गठित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4090/पुनर्गठन ढॉचा/2021-22, दिनांक 16 अगस्त, 2021 एवं पत्र संख्या-3814/पुनर्गठन ढॉचा/2021-22, दिनांक 06 अगस्त, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में शासनादेश संख्या-78/XV-(मत्स्य)4(6)2/2006, दिनांक 07 मई, 2005 एवं शासनादेश संख्या-66/XV-3/2021-02(11)2006, दिनांक 16 सितम्बर, 2015 द्वारा मत्स्य विभाग के कुल सृजित 219 पदों के अतिरिक्त विभिन्न संवर्गों में निम्नानुसार 37 अतिरिक्त पदों को दिनांक 28.02.2023 तक, वशर्ते उक्त पद इससे

क्र0 स0	पदनाम	वेतनमान	लेवल	स्वीकृत पद	पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1.	सहायक निदेशक, मत्स्य	56100–177500	लेवल–10	18	04 पद निदेशालय, 03 पद मण्डल स्तर, 11 पद जिला स्तर।
3.	अपर संख्याधिकारी	47600–151100	लेवल–08	01	01 पद निदेशालय।
4.	लेखाकार	47600–151100	लेवल–08	01	01 पद निदेशालय स्तर।
5.	सहायक लेखाकार	29200–92300	लेवल–05	01	01 निदेशालय स्तर।
6.	कनिष्ठ सहायक	21700–69100	लेवल–03	07	01 निदेशालय स्तर पर, जिला स्तर पर 06 (योजनाओं के कियान्वयन हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर एक कनिष्ठ सहायक का पद)।
7.	वाहन चालक	21700–69100	लेवल–03	01	01 पद निदेशालय।
8.	वाहन चालक	सेवायें आउटसोर्स		02	02 पद जिला स्तर।
9.	अनुसेवक	सेवायें आउटसोर्स		06	06 पद जिला स्तर।
10	माली	सेवायें आउटसोर्स		–	निदेशालय स्तर पर सेवायें आउटसोर्स से।
11.	जमादार/सफाई कर्मी	सेवायें आउटसोर्स		–	निदेशालय स्तर पर सेवायें आउटसोर्स से।
योग :–				37	

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–145/XXVII(7)/2022, दिनांक 12.05.2022 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

3– उक्त पर होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।

4– उक्त पदों के सापेक्ष नियमित रूप से नियुक्त होने वाले कार्मिकों को शासन द्वारा समय–समय पर अनुमन्य वेतन एवं भत्ते देय होंगे।

आज्ञा से,

डॉ0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम,
सचिव।

आवास अनुभाग–1

संशोधित अधिसूचना

10 मई, 2022 ई0

संख्या I/34153/2022–अधिसूचना संख्या–I/22025/2022, दिनांक 08.03.2022 के क्रम में अपर आवास आयुक्त, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद्, देहरादून के पत्र संख्या–349/उ0आ0वि0परि0 पत्रा0सं0–34 (2020–21), दिनांक 28.04.2022 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) के अन्तर्गत प्रस्तावित आवासीय परियोजना में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा–28 के अन्तर्गत अवशेष 01 विज्ञप्ति प्रकाशन की अनुमति के साथ धारा–32 में प्रदत्त प्राविधानों के अन्तर्गत गजट में विज्ञप्ति किये जाने हेतु निम्न परियोजना को निम्नवत् अधिसूचित किया जाता है:–

क्र0सं0	परियोजना का विवरण	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	आवासों का विवरण
1.	गंगापुर–गौसाई काशीपुर	128/2, 128/3, 128/4	14510 वर्गमी0	584

अधिसूचना

10 मई, 2022 ई0

संख्या I/34151/22–अपर आवास आयुक्त, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद्, देहरादून के पत्र संख्या–349/उ0आ0वि0परि0 पत्रा0सं0–34 (2020–21), दिनांक 28.04.2022 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) के अन्तर्गत प्रस्तावित आवासीय परियोजना में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा–28 के अन्तर्गत अवशेष 01 विज्ञप्ति प्रकाशन की अनुमति के साथ धारा–32 में प्रदत्त प्राविधानों के अन्तर्गत गजट में विज्ञप्ति किये जाने हेतु निम्न परियोजना को निम्नवत् अधिसूचित किया जाता है:–

क्र0सं0	परियोजना का विवरण	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	आवासों का विवरण
1.	मंगलौर–रूड़की PMAY (EWS) आवासीय योजना (उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद्)	2732, 2733	1.3512 हे0	544

अर्पण कुमार राजू,
उप सचिव।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 जून, 2022 ई0 (ज्येष्ठ 21, 1944 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

May 12, 2022

No. F-9(32)(i)/RG/UERC/2022/213: In exercise of powers conferred under Section 61 read with Section 181 of the Electricity Act, 2003 and in pursuance to Clause 5.3 of the Tariff Policy, 2016 and all other powers enabling it in this behalf, the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Multi Year Tariff) Regulations, 2021 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:

1. Short title and commencement

(1) These regulations may be called the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Multi Year Tariff) (First Amendment) Regulations, 2022.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 2 (2) of the Principal Regulations

Regulation 2(2)(a) of the Principal Regulations shall be substituted as follows:

Generating Stations and Transmission System whose tariff has been discovered through a transparent process of competitive bidding in accordance with the competitive bidding guidelines notified by the Central Government and adopted by the Commission under Section 63 of the Act.

3. Amendment to Regulation 58 of the Principal Regulations

Following proviso is added to Regulation 58(1) of the Principal Regulations:

Provided that all the new Intra-State transmission system costing above a threshold limit and meeting other conditions as laid out in Appendix-VI shall be developed through Tariff Based Competitive Bidding.

4. Appendix-VI is added to the Principal Regulations as follows:

Appendix -VI
(Threshold Limit for Intra-State Transmission System to be developed through Tariff Based Competitive Bidding)
[Refer to Proviso of Regulation 58(1)]

1. The Commission considering the suggestions received on Consultation Paper on Determination of Threshold Limit for development of Intra-State Transmission System through Tariff Based Competitive Bidding hereby determines the threshold limit of Rs. 100 Core (Rupees One Hundred Crore) above which all Intra-State Transmission System (new and augmentation) costing Rs. 100 Core (Rupees One Hundred Crore) or more shall be developed by State Govt./STU through Tariff Based Competitive Bidding in accordance with the competitive bidding guidelines notified by the Central Government from time to time.

2. This threshold limit shall be applicable for all new Intra-State Transmission System (Projects) for which approval is yet to be accorded by the Commission.

3. The entire Intra-State independent transmission system including any upstream/downstream project shall be designed as single project for inviting bids for development of project through Tariff Based Competitive Bidding.

4. In case the State Govt/STU intends to develop any Intra-State Transmission System above the threshold limit through cost plus approach due to some specific reasons such as project is of critical nature or the Project may lead to ownership or interface issues, the State Govt/STU shall obtain prior approval of the Commission for the same.

By Order of the Commission,

NEERAJ SATI,
Secretary,
Uttarakhand Electricity Regulatory Commission.

चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड

नियुक्ति आदेश

19 मई, 2022 ई0

पत्रांक संख्या:–1501/चि0शि0/03(मेडिकल)/70/2018/एम0एस0डब्ल्यू–

कु0 ऊषा जोशी,
(Km. Usha Joshi)
C/O Shri Brajmohan Joshi,
Add- House No:- 129, Vishnupuri Colony,
City:- Tanakpur, District:- Champawat, Pin- 262309
State:- Uttarakhand

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग के अन्तर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर आपको **राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर)** के पद पर वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1. उक्त अभ्यर्थी संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या/सूचना प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्र संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगा। वांछित प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा योगदान कराया जायेगा।

2. संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी के स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं अनुभव प्रमाण – पत्रों को मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
3. अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होंगे। जिसका परीक्षण संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों के प्रकरण सम्बंन्धित प्राचार्य द्वारा महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सन्दर्भित किये जायेंगे, जिस पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जायेगा।
4. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर कार्यरत होने पर अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 के अनुसार वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
5. अभ्यर्थी 01 माह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान करना सुनिश्चित करें। यदि इस अवधि के भीतर अभ्यर्थी अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
7. नवनियुक्त अभ्यर्थी उत्तराखण्ड कार्मिक आचरण नियमावली से बाधित रहेंगे तथा समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करने होंगे:–
   i. स्वयं के विरूद्ध पूर्व में कभी भी अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथ–पत्र।
   ii. अभ्यर्थी शपथ पत्र देंगे की उनके द्वारा नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख सही हैं, यदि अभिलेख उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।
   iii. स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 01 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र की दो प्रतियां।
   iv. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।
   v. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
   vi. चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण।
   vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का शपथ – पत्र।
   viii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
   ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।
9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग में चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता कम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।
10. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली – 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकते है।
11. नवनियुक्त मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) की सेवा राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में स्थानान्तरणीय होगी।

नियुक्ति आदेश

19 मई, 2022 ई0

पत्रांक संख्या:–1503/चि0शि0/03(मेडिकल)/70/2018/एम0एस0डब्ल्यू–

श्री रमेश चन्द्र,
(Shri Ramesh Chandra)
C/O Shri Girish Chandra Dhyani,
Village- Rikwansi, Post- Rikwansi,
Tehsil- Sult Khumar, City:- Sult Almora, District:- Almora,
Pin- 244715, State:- Uttarakhand.

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग के अन्तर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर आपको **राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून** में **मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर)** के पद पर **वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400** में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1. उक्त अभ्यर्थी संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या/सूचना प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्र संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगा। वांछित प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा योगदान कराया जायेगा।
2. संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी के स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं अनुभव प्रमाण – पत्रों को मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
3. अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होंगे। जिसका परीक्षण संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों के प्रकरण सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सन्दर्भित किये जायेंगे, जिस पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जायेगा।
4. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर कार्यरत होने पर अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 के अनुसार वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
5. अभ्यर्थी 01 माह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान करना सुनिश्चित करें। यदि इस अवधि के भीतर अभ्यर्थी अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
7. नवनियुक्त अभ्यर्थी उत्तराखण्ड कार्मिक आचरण नियमावली से बाधित रहेंगे तथा समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करने होंगे:–
   i. स्वयं के विरूद्ध पूर्व में कभी भी अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथ–पत्र।

ii. अभ्यर्थी शपथ पत्र देंगे की उनके द्वारा नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख सही हैं, यदि अभिलेख उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।

iii. स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 01 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र की दो प्रतियां।

iv. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

v. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

vi. चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण।

vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का शपथ – पत्र।

viii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।

9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग में चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता कम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

10. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली – 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकते है।

11. नवनियुक्त मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) की सेवा राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में स्थानान्तरणीय होगी।

नियुक्ति आदेश

19 मई, 2022 ई0

पत्रांक संख्याः–1504/चि0शि0/03(मेडिकल)/70/2018/एम0एस0डब्ल्यू–

श्री बिजेन्द्र सिंह,
(Shri Bijendra Singh)
C/O Shri Gabbar Singh,
House No:- 1, Village- Hanskoti,
Post Office – Meeng Gadhera, Narayanbagar,
District:- Chamoli, Pin- 246444,
State:- Uttarakhand

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग के अन्तर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर आपको **वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल** में **मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर)** के पद पर **वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400** में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1. उक्त अभ्यर्थी संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या/सूचना प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्र संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगा। वांछित प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा योगदान कराया जायेगा।

2. संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी के स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं अनुभव प्रमाण – पत्रों को मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
3. अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होंगे। जिसका परीक्षण संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों के प्रकरण सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सन्दर्भित किये जायेंगे, जिस पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जायेगा।
4. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर कार्यरत होने पर अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 के अनुसार वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
5. अभ्यर्थी 01 माह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान करना सुनिश्चित करें। यदि इस अवधि के भीतर अभ्यर्थी अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
7. नवनियुक्त अभ्यर्थी उत्तराखण्ड कार्मिक आचरण नियमावली से बाधित रहेंगे तथा समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करने होंगे:–
   i. स्वयं के विरूद्ध पूर्व में कभी भी अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथ–पत्र।
   ii. अभ्यर्थी शपथ पत्र देंगे की उनके द्वारा नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख सही हैं, यदि अभिलेख उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।
   iii. स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 01 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र की दो प्रतियां।
   iv. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।
   v. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
   vi. चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण।
   vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का शपथ – पत्र।
   viii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
   ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।
9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग में चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।
10. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली – 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकते है।
11. नवनियुक्त मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) की सेवा राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में

नियुक्ति आदेश

19 मई, 2022 ई0

पत्रांक संख्याः–1505/चि0शि0/03(मेडिकल)/70/2018/एम0एस0डब्ल्यू–

श्रीमती प्रतिभा पंवार
(Smt. Pratibha Panwar)
D/O Shri Rajendra Singh Rawat
House No:- 131/13A, Krishna Puram, Cant Road,
Mothrowala, District:- Dehradun, Pin- 248001.

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग के अन्तर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर आपको **राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर)** के पद पर **वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400** में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

1. उक्त अभ्यर्थी संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या/सूचना प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्र संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगा। वांछित प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा योगदान कराया जायेगा।
2. संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी के स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं अनुभव प्रमाण – पत्रों को मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
3. अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होंगे। जिसका परीक्षण संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों के प्रकरण सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सन्दर्भित किये जायेंगे, जिस पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जायेगा।
4. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर कार्यरत होने पर अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 के अनुसार वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
5. अभ्यर्थी 01 माह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान करना सुनिश्चित करें। यदि इस अवधि के भीतर अभ्यर्थी अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
7. नवनियुक्त अभ्यर्थी उत्तराखण्ड कार्मिक आचरण नियमावली से बाधित रहेंगे तथा समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करने होंगे:–
   i. स्वयं के विरूद्ध पूर्व में कभी भी अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथ–पत्र।

ii. अभ्यर्थी शपथ पत्र देंगे की उनके द्वारा नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख सही हैं, यदि अभिलेख उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।

iii. स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 01 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र की दो प्रतियां।

iv. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

v. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

vi. चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण।

vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का शपथ – पत्र।

viii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।

9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग में चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

10. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली – 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकते हैं।

11. नवनियुक्त मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) की सेवा राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में स्थानान्तरणीय होगी।

नियुक्ति आदेश

19 मई, 2022 ई0

पत्रांक संख्याः–1506/चि0शि0/03(मेडिकल)/70/2018/एम0एस0डब्ल्यू–

श्रीमती सोनल राणा
(Smt. Sonal Rana)
C/O Shri Brijmohan Singh Rana
House No- I-72, Nehru Colony,
Near Fountain Chowk, Dehradun,
Pin Code- 248001, Uttarakhand

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग के अन्तर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर आपको **राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर)** के पद पर **वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400** में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

1. उक्त अभ्यर्थी संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या/सूचना प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्र संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगा। वांछित प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा योगदान कराया जायेगा।

2. संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी के स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं अनुभव प्रमाण – पत्रों को मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
3. अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होंगे। जिसका परीक्षण संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों के प्रकरण सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सन्दर्भित किये जायेंगे, जिस पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जायेगा।
4. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर कार्यरत होने पर अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 के अनुसार वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
5. अभ्यर्थी 01 माह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान करना सुनिश्चित करें। यदि इस अवधि के भीतर अभ्यर्थी अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
7. नवनियुक्त अभ्यर्थी उत्तराखण्ड कार्मिक आचरण नियमावली से बाधित रहेंगे तथा समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करने होंगे:–
   i. स्वयं के विरूद्ध पूर्व में कभी भी अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथ–पत्र।
   ii. अभ्यर्थी शपथ पत्र देंगे की उनके द्वारा नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख सही हैं, यदि अभिलेख उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।
   iii. स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 01 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र की दो प्रतियां।
   iv. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।
   v. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
   vi. चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण।
   vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का शपथ – पत्र।
   viii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
   ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।
9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग में चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।
10. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली – 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकते है।
11. नवनियुक्त मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) की सेवा राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में

नियुक्ति आदेश

19 मई, 2022 ई0

पत्रांक संख्या:–1507 / चि0शि0 / 03(मेडिकल) / 70 / 2018 / एम0एस0डब्ल्यू–

श्री विजय प्रकाश,
(Shri Vijay Prakash)
C/O Shri Sachidanand Jamloki,
Village- Ravigram, Post- Phata,
District:- Rudraprayag, Pin- 246471,
State:- Uttarakhand

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग के अन्तर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर आपको **वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर)** के पद पर **वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400** में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1. उक्त अभ्यर्थी संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या/सूचना प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्र संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगा। वांछित प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा योगदान कराया जायेगा।
2. संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी के स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं अनुभव प्रमाण – पत्रों को मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
3. अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होंगे। जिसका परीक्षण संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों के प्रकरण सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सन्दर्भित किये जायेंगे, जिस पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जायेगा।
4. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर कार्यरत होने पर अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 के अनुसार वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
5. अभ्यर्थी 01 माह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान करना सुनिश्चित करें। यदि इस अवधि के भीतर अभ्यर्थी अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
7. नवनियुक्त अभ्यर्थी उत्तराखण्ड कार्मिक आचरण नियमावली से बाधित रहेंगे तथा समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करने होंगे:–
   i. स्वयं के विरूद्ध पूर्व में कभी भी अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध

ii. अभ्यर्थी शपथ पत्र देंगे की उनके द्वारा नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख सही हैं, यदि अभिलेख उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।

iii. स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 01 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र की दो प्रतियां।

iv. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

v. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

vi. चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण।

vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का शपथ – पत्र।

viii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।

9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग में चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

10. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली – 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकते है।

11. नवनियुक्त मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) की सेवा राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में स्थानान्तरणीय होगी।

नियुक्ति आदेश

19 मई, 2022 ई0

पत्रांक संख्याः–1508/चि0शि0/03(मेडिकल)/70/2018/एम0एस0डब्ल्यू–

मोहम्मद इकबाल,
(Mr. Mohammad Iqbal)
C/O Mr. Noor Bakhsh
House No- 47, Village- Niwar Mandi,
Near Usmani Masjid, Jaspur, District:- U.S Nagar,
Pin- 244712, State:- Uttarakhand

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग के अन्तर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर आपको **राजकीय मेडिकल कॉलेज, रूद्रपुर** में **मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर)** के पद पर **वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6)** वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1. उक्त अभ्यर्थी संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या/सूचना प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्र संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगा।

2. संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी के स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं अनुभव प्रमाण – पत्रों को मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
3. अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होंगे। जिसका परीक्षण संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों के प्रकरण सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सन्दर्भित किये जायेंगे, जिस पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जायेगा।
4. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर कार्यरत होने पर अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 के अनुसार वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
5. अभ्यर्थी 01 माह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान करना सुनिश्चित करें। यदि इस अवधि के भीतर अभ्यर्थी अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
7. नवनियुक्त अभ्यर्थी उत्तराखण्ड कार्मिक आचरण नियमावली से बाधित रहेंगे तथा समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करने होंगे:–
   i. स्वयं के विरूद्ध पूर्व में कभी भी अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथ–पत्र।
   ii. अभ्यर्थी शपथ पत्र देंगे की उनके द्वारा नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख सही हैं, यदि अभिलेख उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।
   iii. स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 01 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र की दो प्रतियां।
   iv. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।
   v. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
   vi. चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण।
   vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का शपथ – पत्र।
   viii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
   ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।
9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग में चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता कम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।
10. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली – 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकते है।
11. नियुक्त मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) की सेवा राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में

नियुक्ति आदेश

19 मई, 2022 ई0

पत्रांक संख्याः–1509/चि0शि0/03(मेडिकल)/70/2018/एम0एस0डब्ल्यू–

श्री नरेश कुमार आगरी,
(Shri Naresh Kumar Agri)
C/O Shri Bhawani Ram Agri
House No.- 54, Near of G.G.I.C Bageshwar,
District:- Bageshwar, Pin- 263642,
State:- Uttarakhand

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग के अन्तर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर आपको **सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा** में **मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर)** के पद पर वेतन मैट्रिक्स **(लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400** में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1. उक्त अभ्यर्थी संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या/सूचना प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्र संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगा। वांछित प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा योगदान कराया जायेगा।
2. संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी के स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं अनुभव प्रमाण – पत्रों को मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
3. अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होंगे। जिसका परीक्षण संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों के प्रकरण सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सन्दर्भित किये जायेंगे, जिस पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जायेगा।
4. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर कार्यरत होने पर अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 के अनुसार वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
5. अभ्यर्थी 01 माह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान करना सुनिश्चित करें। यदि इस अवधि के भीतर अभ्यर्थी अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
7. नवनियुक्त अभ्यर्थी उत्तराखण्ड कार्मिक आचरण नियमावली से बाधित रहेंगे तथा समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करने होंगे:–
   i. स्वयं के विरूद्ध पूर्व में कभी भी अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथ–पत्र।

ii. अभ्यर्थी शपथ पत्र देंगे की उनके द्वारा नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख सही हैं, यदि अभिलेख उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।

iii. स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 01 वर्ष के अनुभव प्रमाण—पत्र की दो प्रतियां।

iv. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

v. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

vi. चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण।

vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का शपथ – पत्र।

viii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण—पत्र।

ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण—पत्र।

9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग में चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता कम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

10. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली – 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकते है।

11. नवनियुक्त मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) की सेवा राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में स्थानान्तरणीय होगी।

नियुक्ति आदेश

19 मई, 2022 ई0

पत्रांक संख्याः—1510/चि0शि0/03(मेडिकल)/70/2018/एम0एस0डब्ल्यू—

श्री विनय कुमार जोशी,
(Shri Vinay Kumar Joshi)
C/O Shri Girish Chandra Joshi,
Dugai Estate Teekpur Ward,
Dugai Estate Bhowali, Bhowali,
District:- Nainital, Pin- 263132, State:- Uttarakhand

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग के अन्तर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर आपको **सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा** में **मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर)** के पद पर **वेतन मैट्रिक्स (लेवल—6) वेतन रू0 35,400 — रू0 1,12,400** में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :—

1. उक्त अभ्यर्थी संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या/सूचना प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्र संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगा। [illegible] के उपरान्त ही सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा योगदान कराया जायेगा।

2. संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी के स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं अनुभव प्रमाण – पत्रों को मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
3. अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होंगे। जिसका परीक्षण संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों के प्रकरण सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सन्दर्भित किये जायेंगे, जिस पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जायेगा।
4. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर कार्यरत होने पर अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 के अनुसार वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
5. अभ्यर्थी 01 माह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान करना सुनिश्चित करें। यदि इस अवधि के भीतर अभ्यर्थी अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
7. नवनियुक्त अभ्यर्थी उत्तराखण्ड कार्मिक आचरण नियमावली से बाधित रहेंगे तथा समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करने होंगे:–
   i. स्वयं के विरूद्ध पूर्व में कभी भी अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथ–पत्र।
   ii. अभ्यर्थी शपथ पत्र देंगे की उनके द्वारा नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख सही हैं, यदि अभिलेख उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।
   iii. स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 01 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र की दो प्रतियां।
   iv. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।
   v. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
   vi. चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण।
   vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का शपथ – पत्र।
   viii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
   ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।
9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग में चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता कम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।
10. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली – 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकते है।
11. नवनियुक्त मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) की सेवा राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में

नियुक्ति आदेश

19 मई, 2022 ई0

पत्रांक संख्याः–1511/चि0शि0/03(मेडिकल)/70/2018/एम0एस0डब्ल्यू–

श्री भवतोष धर,
(Shri Bhavtosh Dhar)
C/O Shri Lokesh Dhar,
House No- A-530, Trans Yamuna Colony,
Rambagh, Agra, Pin- 282006,
State:- Uttar Pradesh

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग के अन्तर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर आपको **वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल** में **मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर)** के पद पर **वेतन मैट्रिक्स (लेवल–8) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400** में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1. उक्त अभ्यर्थी संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या/सूचना प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्र संबंधित राजकीय मेड़िकल कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगा। वांछित प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा योगदान कराया जायेगा।
2. संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी के स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं अनुभव प्रमाण – पत्रों को मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
3. अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होंगे। जिसका परीक्षण संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों के प्रकरण सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सन्दर्भित किये जायेंगे, जिस पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जायेगा।
4. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर कार्यरत होने पर अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 के अनुसार वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
5. अभ्यर्थी 01 माह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान करना सुनिश्चित करें। यदि इस अवधि के भीतर अभ्यर्थी अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
7. नवनियुक्त अभ्यर्थी उत्तराखण्ड कार्मिक आचरण नियमावली से बाधित रहेंगे तथा समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करने होंगे:–
   i. स्वयं के विरूद्ध पूर्व में कभी भी अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध

ii. अभ्यर्थी शपथ पत्र देंगे की उनके द्वारा नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख सही हैं, यदि अभिलेख उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।

iii. स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 01 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र की दो प्रतियां।

iv. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

v. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

vi. चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण।

vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का शपथ – पत्र।

viii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।

9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग में चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता कम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

10. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली – 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकते है।

11. नवनियुक्त मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) की सेवा राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में स्थानान्तरणीय होगी।

नियुक्ति आदेश

19 मई, 2022 ई0

पत्रांक संख्याः–1512/चि0शि0/03(मेडिकल)/70/2018/एम0एस0डब्ल्यू–

श्री शमशेर सिंह सामंत,
(Shri Shamsher Singh Samant)
C/O Shri Jagat Singh Samant,
House No- Nainital Road, Satai Mai Mandir,
Bazpur, District- Udham Singh Nagar,
Pin Code- 262401, Uttarakhand.

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग के अन्तर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर आपको **राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर)** के पद पर **वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6)** वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1. उक्त अभ्यर्थी संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या/सूचना प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्र संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगा। [illegible] प्रपत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा योगदान कराया जायेगा।

2. संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी के स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं अनुभव प्रमाण – पत्रों को मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
3. अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होंगे। जिसका परीक्षण संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों के प्रकरण सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सन्दर्भित किये जायेंगे, जिस पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जायेगा।
4. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर कार्यरत होने पर अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 के अनुसार वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
5. अभ्यर्थी 01 माह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान करना सुनिश्चित करें। यदि इस अवधि के भीतर अभ्यर्थी अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
7. नवनियुक्त अभ्यर्थी उत्तराखण्ड कार्मिक आचरण नियमावली से बाधित रहेंगे तथा समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करने होंगे:–
   i. स्वयं के विरूद्ध पूर्व में कभी भी अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथ–पत्र।
   ii. अभ्यर्थी शपथ पत्र देंगे की उनके द्वारा नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख सही हैं, यदि अभिलेख उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।
   iii. स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 01 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र की दो प्रतियां।
   iv. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।
   v. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
   vi. चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण।
   vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का शपथ – पत्र।
   viii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
   ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।
9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग में चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।
10. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली – 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकते है।
11. नवनियुक्त मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) की सेवा राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में

नियुक्ति आदेश

19 मई, 2022 ई0

पत्रांक संख्याः–1513/चि0शि0/03(मेडिकल)/70/2018/एम0एस0डब्ल्यू–

श्री राजेश कुमार,
(Shri Rajesh Kumar)
C/O Shri Rishi Ram uniyal,
House No- 82, Race Course,
C Block, New Basti, Dehradun.
Pin- 248001, State:- Uttarakhand

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग के अन्तर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर आपको **राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर)** के पद पर **वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400** में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1. उक्त अभ्यर्थी संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या/सूचना प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्र संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगा। वांछित प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा योगदान कराया जायेगा।
2. संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी के स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं अनुभव प्रमाण – पत्रों को भूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
3. अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होंगे। जिसका परीक्षण संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों के प्रकरण सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सन्दर्भित किये जायेंगे, जिस पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जायेगा।
4. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर कार्यरत होने पर अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 के अनुसार वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
5. अभ्यर्थी 01 माह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान करना सुनिश्चित करें। यदि इस अवधि के भीतर अभ्यर्थी अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
7. नवनियुक्त अभ्यर्थी उत्तराखण्ड कार्मिक आचरण नियमावली से बाधित रहेंगे तथा समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करने होंगेः–
   i. स्वयं के विरूद्ध पूर्व में कभी भी अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथ–पत्र।

ii. अभ्यर्थी शपथ पत्र देंगे की उनके द्वारा नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख सही हैं, यदि अभिलेख उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।

iii. स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 01 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र की दो प्रतियां।

iv. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

v. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

vi. चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण।

vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का शपथ – पत्र।

viii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।

9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग में चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता कम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

10. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली – 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकते है।

11. नवनियुक्त मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) की सेवा राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में स्थानान्तरणीय होगी।

नियुक्ति आदेश

19 मई, 2022 ई0

पत्रांक संख्याः–1514/चि0शि0/03(मेडिकल)/70/2018/एम0एस0डब्ल्यू–

—

श्री महादेव प्रसाद,
(Shri Mahadev Prasad)
C/O Shri Jayendra Prasad,
House No- E-188, MDDA Colony,
Kedar Puram, City- Dehradun,
Uttarakhand, Pin Code- 248012

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग के अन्तर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर आपको **राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर)** के पद पर **वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400** में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1. उक्त अभ्यर्थी संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या/सूचना प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्र संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगा।

2. संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी के स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं अनुभव प्रमाण – पत्रों को मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
3. अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होंगे। जिसका परीक्षण संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों के प्रकरण सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सन्दर्भित किये जायेंगे, जिस पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जायेगा।
4. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर कार्यरत होने पर अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 के अनुसार वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
5. अभ्यर्थी 01 माह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान करना सुनिश्चित करें। यदि इस अवधि के भीतर अभ्यर्थी अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
7. नवनियुक्त अभ्यर्थी उत्तराखण्ड कार्मिक आचरण नियमावली से बाधित रहेंगे तथा समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करने होंगे:–
   i. स्वयं के विरूद्ध पूर्व में कभी भी अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथ–पत्र।
   ii. अभ्यर्थी शपथ पत्र देंगे की उनके द्वारा नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख सही हैं, यदि अभिलेख उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।
   iii. स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 01 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र की दो प्रतियां।
   iv. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।
   v. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
   vi. चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण।
   vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का शपथ – पत्र।
   viii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
   ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।
9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग में चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।
10. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली – 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकते है।
11. नवनियुक्त मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) की सेवा राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में

नियुक्ति आदेश

19 मई, 2022 ई0

पत्रांक संख्याः–1515/चि0शि0/03(मेडिकल)/70/2018/एम0एस0डब्ल्यू–

श्री अखिलेश असवाल,
(Shri Akhilesh Aswal)
C/O Shri Chandra Jeet Singh Aswal
House No- 10, Post Office - Anjanisain
City:- Anjanisain, District:- Tehri Garhwal, Pin- 249121
State:- Uttarakhand

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग के अन्तर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर आपको **राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर)** के पद पर **वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400** में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1. उक्त अभ्यर्थी संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या/सूचना प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्र संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगा। वांछित प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा योगदान कराया जायेगा।
2. संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी के स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं अनुभव प्रमाण – पत्रों को मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
3. अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होंगे। जिसका परीक्षण संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों के प्रकरण सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सन्दर्भित किये जायेंगे, जिस पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जायेगा।
4. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर कार्यरत होने पर अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 के अनुसार वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
5. अभ्यर्थी 01 माह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान करना सुनिश्चित करें। यदि इस अवधि के भीतर अभ्यर्थी अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
7. नवनियुक्त अभ्यर्थी उत्तराखण्ड कार्मिक आचरण नियमावली से बाधित रहेंगे तथा समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करने होंगेः–
   i. स्वयं के विरूद्ध पूर्व में कभी भी अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथ–पत्र।

ii. अभ्यर्थी शपथ पत्र देंगे की उनके द्वारा नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख सही हैं, यदि अभिलेख उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।

iii. स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 01 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र की दो प्रतियां।

iv. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

v. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

vi. चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण।

vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का शपथ – पत्र।

viii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।

9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग में चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता कम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

10. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली – 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकते है।

11. नवनियुक्त मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) की सेवा राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में स्थानान्तरणीय होगी।

डा0 आशुतोष सयाना,
अपर निदेशक।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 हिन्दी गजट/365–भाग 1–क–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवं प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 जून, 2022 ई0 (ज्येष्ठ 21, 1944 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, बागेश्वर

अधिसूचना की सूचना

20 मई, 2022 ई0

पत्रांक 342/पंचा0चुना0/ना0नि0उप0निर्वा0–2022/2022–23–'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 243–यक तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 13–ज एवं धारा 44–क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था0नि0) बागेश्वर, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या–174/रा0नि0आ0–3/2634/2019 दिनांक 19 मई, 2022 के क्रम में जनपद की नगर पालिका परिषद्, बागेश्वर के वार्ड संख्या–01/बिलौनासेरा के रिक्त सदस्य पद जो न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर, कोविड–19 संबंधी केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गई गाईड लाईन्स का अनुपालन कराते हुए, उप निर्वाचन निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय–सारिणी के अनुसार मतपत्रों (गूढ़शलाका) द्वारा कराये जाने हेतु अधिसूचित करता हूँ।

2. इस उप निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं निर्देशित है:–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की तिथि व समय	नाम–निर्देशन पत्रों की जॉच की तिथि व समय	नाम वापसी की तिथि व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय	मतदान की तिथि व समय	मतगणना की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6
26 मई, 2022 से 27 मई, 2022 (पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक	28 मई, 2022 (पूर्वान्ह 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	29 मई, 2022 (पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक)	29 मई, 2022 (अपरान्ह 03:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	12 जून, 2022 (पूर्वान्ह 08:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक)	14 जून, 2022 (पूर्वान्ह 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

3. राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या–174/रा0नि0आ0–3/2634/2019 दिनांक 19 मई, 2022 संलग्नक–क के क्रम संख्या–04 में उल्लिलिखित नगर पालिका परिषद, बागेश्वर के रिक्त सदस्य वार्ड संख्या–01/बिलौनासेरा जो निम्न प्रकार से है के अनुसार निर्वाचन कराये जाने हेतु आदेशित करता हूँ।

स्थानीय निकाय बागेश्वर के रिक्त सदस्य के पद के आरक्षण का विवरण

नगर पालिका परिषद,बागेश्वर			
क्रमांक	पद का नाम	निकाय का नाम/वार्ड संख्या व नाम	आरक्षण की श्रेणी
1	सदस्य	नगर पालिका परिषद; बागेश्वर/01–बिलौनासेरा	अनारक्षित

4. नाम–निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम–निर्देशन पत्रों की जॉच, नाम वापसी, निर्वाचन प्रतीक आवंटन एवं मतगणना तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधित निर्वाचन अधिकारियों (रिटर्निंग आफिसर)/सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) द्वारा नगर पालिका परिषद, बागेश्वर मुख्यालय पर की जायेगी।

5. संबंधित निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) द्वारा उक्त निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा इसके लिए स्थानीय समाचार पत्रों तथा नगर पालिका परिषद, बागेश्वर में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों, मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जाय।

उक्त समय–सारणी के दौरान पडने वाले समस्त सार्वजनिक अवकाश दिवस पर सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
बागेश्वर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 हिन्दी गजट/365–भाग 3–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवं प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 जून, 2022 ई0 (ज्येष्ठ 21, 1944 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे पुत्र/पुत्री के विद्यालयी रिकार्ड में गलती से माता/पिता का नाम मधु शर्मा/संजय शर्मा दर्ज हो गया है। जबकि उनके माता पिता का सही नाम मधु रानी व अनिल कुमार है। कृपया रिकार्ड में सही किया जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मधु रानी पत्नी अनिल कुमार
निवासी ग्राम लतीफपुर खुब्बनपुर
तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार।

कार्यालय नगर पंचायत, नानकमत्ता (ऊधमसिंह नगर)

02 अगस्त, 2021 ई0

पत्रांक 142/न0पं0/2021–सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, शासकीय विज्ञप्ति संख्या 697/23–197 दिनांक 04 मई 1972 में प्रकाशित उपनियमों की दरों को संशोधित किये जाने हेतु शासकीय विज्ञप्ति संख्या 392/153/23–स्था.नि.(85–86) दिनांक 24 मई 1986, जिसका प्रकाशन उत्तर प्रदेश शासकीय गजट में दिनांक 30 अगस्त 1986 ई. को किया है, के अनुसार नगर पंचायत नानकमत्ता जिला ऊधम सिंह नगर द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत हाटबाजार–पैंठ तथा दैनिक तहबाजारी के नियंत्रण हेतु नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298(1) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न संशोधित/नवीन उपविधि बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिस कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 300(1) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। आपत्ति/सुझाव इस उपविधि के समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत नानकमत्ता को प्रस्तुत किये जा सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात प्रस्तुत आपत्ति एवं सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उपविधियां

1- **परिभाषायें :**

(क) दैनिक तहबाजारी का अर्थ उस शुल्क से है, जो नगर पंचायत नानकमत्ता की सीमान्तर्गत सड़कों, सड़कों के किनारे भूमि तथा अन्य सार्वजानिक स्थानों गलियों, खुले स्थानों तथा नालों आदि का अस्थायी उपयोग करने के लिए सम्बन्धित व्यक्ति / उपयोगकर्ता से नगर पंचायत नानकमत्ता द्वारा ली जाएगी।

(ख) **साप्ताहिक हाट बाज़ार :-** पैंठ का अर्थ सप्ताह में निर्धारित दिवस अथवा एक से अधिक दिवसों को नगर पंचायत द्वारा निर्धारित स्थल पर लगने वाले साप्ताहिक हाटबाजार से है। जिसकी वसूली दैनिक तहबाजारी की भांति निर्धारित दरों पर केवल सप्ताह में लगने वाले बाजार दिवसों में ही की जायेगी।

(ग) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत नानकमत्ता के अधिशासी अधिकारी से है।

(घ) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत नानकमत्ता के अध्यक्ष से है।

(ड.) पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत नानकमता की पंचायत बोर्ड से है।

(च) ठेकेदार का तात्पर्य विशेष रूप से उस ठेकेदार से है, जिसके नाम विधिवत ठेका नीलाम इस वर्ष हेतु हुआ है।

(छ) वसूली अभिकर्ता का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसे ठेकेदार द्वारा अथवा निकाय द्वारा दैनिक तहबाजारी तथा साप्ताहिक हाटबाजार नीलामी ठेका वसूली के लिए एजेंट के रूप में अधिकृत किया गया हो।

2. कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत नानकमत्ता की सीमा के अन्तर्गत दैनिक तहबाजारी तथा साप्ताहिक हाटबाजार - पैंठ हेतु सार्वजानिक मार्गों, जिनमें मोटर मार्ग तथा गलियां सम्मिलित हैं तथा सार्वजानिक

स्थल का प्रयोग तब तक नहीं कर सकता है, जब तक कि उसके द्वारा नगर पंचायत / ठेकेदार को इस कार्य के लिये निर्धारित शुल्क की अदायगी नियमानुसार न कर दी गयी हो ।

3. दैनिक तहबाजारी व साप्ताहिक बाजार - पैंठ लगाने वाले किसी भी दुकानदार की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह अनावश्यक रूप से गन्दी अथवा आपत्तिजनक वस्तुओं को नहीं रखेगा और गंदगी उत्पन्न करने वाले पदार्थों का फैलाव तथा बिखराव सीमित रखेगा । पॉलीथीन, प्लास्टिक तथा इससे निर्मित अन्य वस्तुओं का प्रयोग नही करेगा । दैनिक तहबाजारी व साप्ताहिक हाटबाजार दुकानदार को प्रत्येक दशा में सायंकाल में अनिवार्य रूप से निर्धारित स्थल/ फड़ खाली करना होगा । साथ ही अपने निर्धारित फड़/स्थल की समुचित सफाई करनी होगी ।

4. दैनिक तहबाजारी एवं साप्ताहिक हाटबाजार - पैंठ हेतु निर्धारित शुल्क/दरों से अधिक कोई भी ठेकेदार वसूली नहीं करेगा और नियमानुसार शुल्क की रसीद भी दी जाएगी ।

5. नगर पंचायत द्वारा दैनिक तहबाजारी तथा साप्ताहिक हाटबाजार -पैंठ की एक मुश्त बसूली का ठेका एक वर्ष(वित्तीय वर्ष) अथवा एक वर्ष से कम अवधि तक के लिये आम नीलामी द्वारा ठेके पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिया जा सकता है ।

6. दैनिक तहबाजारी एवं साप्ताहिक हाटबाजार-पैंठ की निर्धारित शुल्क वसूली के लिए ठेकेदार अथवा पंचायत कर्मचारियों द्वारा निर्गत की जाने वाली रसीद किसी भी प्रकार के स्वामित्व एवं कब्जेदारी, अवैध अतिक्रमण, साक्ष्य अथवा विवाद के लिये मान्य नही होगी । रसीद केवल शुल्क भुगतान होने अथवा न होने तक ही वैध मानी जायेगी ।

7. सार्वजानिक स्थल का तात्पर्य नगर पंचायत नानकमत्ता सीमा के अन्तर्गत समस्त सडकों, मार्गों, फुटपाथों, गलियों, चौराहों, नालें, नालियों, खाई, खंतीयों, पार्कों, बस स्टैंड, खाली भूमि, मैदान इत्यादि जगहों से है । भले ही वे नगर पंचायत के निजी स्वामित्व की न हो ।

8. नगर पंचायत द्वारा दैनिक तहबाजारी तथा साप्ताहिक हाटबाजार-पैंठ की वसूली के लिये निम्नांकित शुल्क / दरें निर्धारित की जाती हैं :-

क्र.सं.	नाम मद	दरें प्रतिदिन
1.	मिट्टी के बर्तन, क्राकरी का सामान, सब्जी, बिसात खाना, बटुआ नीचे बंद, चूड़ी, गुड़ तथा रुई, वनस्पति उत्पादन, घी, तेल, मिट्टी का तेल, पान सुपारी, कत्था हर प्रकार के (खाने व पीने का), इमारती लकड़ी, सरिया, ईट, पत्थर, रेता, बजरी, चूना, मिट्टी, टायर, ट्यूब, कोयल, बॉस, बल्ली, टीन के बस्के, लकड़ी की पेटीया, झूला, खाली कट्टे, बोरी, गों, सोडा, छई, टोकरी, सूप, लाठी, डंडा, हर प्रकार के पुराने कपड़े, यूनानी दवा फ़रोश, सूखे मेवे, सुगन्धित तेल, इत्र, मेकेनिक, चबेना का सामान, लोहे का सामान, हर प्रकार के धातु के बर्तन, गैस स्टोव आदि की मरम्मत तथा किराये पर रखने पर	प्रति फण्ड 30.00 प्रतिदिन थोक बिक्री पर 50.00 प्रतिदिन

2. हर प्रकार मांस	50.00 रू०
3. चाकू, ताले व छूरी बेचने वाला	10.00 रू०
4. किराये की दुकान तथा जूता फ़रोश	20.00 रू०
5. अनाज का फड़	40.00 रू०
6. रेडीमेड कपड़े-दर्जी तथा लोहार का फड़	30.00 रू०
7. पान, बीड़ी, सिगरेट, पकौड़ी, चाय तथा अन्य पेय पदार्थ, लिहाफ गद्दे, तकिये कम्बल फ़रोश तथा कपड़ा बजाज प्रति	20.00 रू०
8. सर्राफ तथा हलवाई का फड़	25.00 रू०
9. नीलाम द्वारा किसी वस्तु का विक्रय मजमा लगाकर ग्राहकों को इकठ्ठा करना	25.00 रू०
10. छतरी, ताला आदि की मरम्मत करने वाला	15.00 रू०
11. मोची का फड़	10.00 रू०
12. पान, बीड़ी, सिगरेट	20.00 रू०
13. नाई का फड़	20.00 रू०
14. सब्जी, फल, चाट, आइसक्रीम, बर्फ, शरबत, रेड़ी	20.00 रू०
15. फल, सब्जी, तथा सब्जी के पौधे आदि टोकरी	25.00 रू०
16. चाट, मिठाई, रबड़ी आदि का खोंचा तथा चूड़ी, चश्मा, फाउन्टेन पेन, चाय, साबुन, आइसक्रीम, सोडालेमन, सुगन्धित तेल, इत्र, सुरमा, हींग, हसियें, छूरी, चाकू, कटपीस रेडीमेड कपड़े, साड़ियां, खेश, कपड़ा, विशात खाने का सामान, हर प्रकार (धातु व मिट्टी के बर्तन), फेरी पर, साइकिल पर अथवा दो पहियों की रेड़ी पर	25.00 रू०
17. चाकू, छूरी, कैंची पर धार लगाने वाला	10.00 रू०
18. फल तथा सब्जी की गाड़ी जो बाजार में बिकती है	40.00 रू०
19. फल तथा सब्जी घोड़े अथवा गधे पर	30.00 रू०
20. घास एवं लकड़ी का गड्ढा जो सर पर लाया जाता हो	10.00 रू०
21. हिन्डोला चर्खी लकड़ी तथा घास व चारे की गाड़ी/ट्राली	40.00 रू०
22. मछली प्रति कडिया बहंगी	50.00 रू०
23. भेड़, बकरी,पर प्रदर्शन करने वाले	40.00 रू०
24. गाय, बैल, भैंस, घोड़ा तथा खच्चर प्रदर्शित करने पर	40.00 रू०
25. मुर्गा, मुर्गी, बत्तख, मोर, तथा इसी प्रकार के परिंदे विक्रय हेतु प्रदर्शित करने पर	15.00 रू०
26. मुर्गी के चुजें इसी प्रकार के परिंदे विक्रय हेतु प्रदर्शित करने पर	10.00 रू०
27. सींक, पूज, चटाई पत्तल पंखी रिकी का पाल रस्सी, सन तथा दियुला पर	15.00 रू०
28. अनाज की तुलाई	50.00 रू०

29. ट्रांसपोर्ट आढ़ती आदि 50.00 रू०
30. दूध विक्रेता 10.00 रू०

अपील का यदि कोई हो, परिणाम

दिए जाने वाले कर की कुल रकम	निर्धारित हैसियत (परिस्तिथि)	दिए जाने वाले कर की रकम	निर्धारित सम्पत्ति	दिए जाने वाले कर की रकम	दिए जाने वाले कर की कुल रकम	यदि कर से मुक्त किया गया हो तो मुक्त किये जाने का कारण	कैफियत
क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज

शास्ति

नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299(1) के अधीन उपरोक्त उपविधि का दुकानदार/ व्यवसायी/ फड़ कब्जेदार द्वारा किसी भी पैरा का उल्लंघन करने पर रु० 1000 (एक हजार) मात्र अर्थदण्ड देय होगा । तथा उल्लंघन निरंतर जारी रखने पर प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से 25/- (पच्चीस रुपया) प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा ।

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत नानकमत्ता,
ऊधम सिंह नगर।

ह0 (अस्पष्ट)
अध्यक्ष,
नगर पंचायत नानकमत्ता,
ऊधम सिंह नगर।

कार्यालय नगर पंचायत, नानकमत्ता (ऊधमसिंह नगर)

02 अगस्त, 2021 ई0

पत्रांक 142/न0पं0/2021–सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, सं0 / वि0शु0नि0प्र0/2015–16, म्यु0 एक्ट 1916 की धारा 298 (2) सूची–1 के अन्तर्गत नगर पंचायत नानकमत्ता अपनी सीमा के अन्तर्गत पोस्टरों, विज्ञापन बोर्डों/पटिकाओं, हैड बिलों, बैनरों आदि के प्रदर्शन वगैरह को नियंत्रिक तथा उन्हें विनियमित किये जाने हेतु नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 (1) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्न सशोधित/नवीन उप विधि बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिस कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 300 (1) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। आपत्ति/सुझाव इस उपविधि के समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से एक माह के अंदर अध्यक्ष नगर पंचायत नानकमत्ता को प्रस्तुत किये जा सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् आपत्ति एवं सुझाव पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा।

उपनियम

1 (क) परिभाषाए- यह नियमावली विज्ञापन (विज्ञापन बोर्डों / पटिकाओ, हैड बिलों, बैनरों आदि के प्रदर्शन वगैरह को नियंत्रिक तथा उन्हें विनीयमितकरण) नियमावली नगर पंचायत नानकमत्ता 2020 कहलायेगी ।

(ख) यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी ।

(ग) एक्ट का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 से है ।

(घ) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत नानकमत्ता के अध्यक्ष से है ।

(ड) अधिशासी अधिकारी, का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नानकमत्ता से है ।

(च) प्रभारी अधिकारी, का तात्पर्य प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत नानकमत्ता से है ।

(छ) प्रसाशक, का तात्पर्य प्रसाशक / जिला मजिस्ट्रेट से है ।

(ज) सीमा का तात्पर्य नगर पंचायत नानकमत्ता (उधम सिंह नगर) की सीमा, जिसमे लो०नि०वि० आदि की रोड भी आती है, से है ।

(झ) विज्ञापन से तात्पर्य किसी ऐसे पत्रक, सूचना, तथा अभद्र पोस्टरों, विज्ञापन बोर्डों / पटिकाओं, हैड बिलों, बैनरों, कागज के छोटे चिपकाने पोस्टर एवं अन्य ऐसी वस्तु से है जो विज्ञापन के लिये प्रयुक्त की गई हो, जिसमे स्टैन्सिल के छापे, लिखे तथा रंगीन तस्वीर और रेखाचित्र भी सम्मिलित है ।

(ञ) भवन से तात्पर्य घर, झोपड़ी, छप्पर या अन्य छतदार निर्मित चाहे वे किसी भी निर्मित चाहे किसी भी भाग से है जिसमे तम्बू या इस प्रकार का छोटा अस्थाई शरणागाह सिम्मलित नहीं है ।

(ट) व्यक्ति में वे सभी व्यक्ति सिम्मलित है जो विज्ञापन कार्य करने के लिये प्रयुक्त किये गये हो तथा फर्म या कंपनी, कंपनी का मालिक, स्वामी, प्रतिनिधि, साझीदार या प्रबंधक आदि जिसके लिए विज्ञापन प्रदर्शित किया गया हो ।

2. कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत नानकमत्ता की सीमा के भीतर किसी भी स्थान या भवन वाहन पर

करने के लिये बिना अधिशासी अधिकरी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये न तो लगवायेगा और न ही लगवाने का अधिकारी होगा ।

3. अधिशासी अधिकारी, के निर्देशन में कर संग्रह/ राजस्व मौहरिर/ निरीक्षक अभिलेखों का रख-रखाव करेगे ।

4. नगर पंचायत नानकमत्ता की सीमा के भीतर किसी स्थान को विज्ञापन हेतु उपयोग की आज्ञा प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र निश्चित स्थान के दो स्पष्ट मानचित्रो, प्रदर्शित किये जाने वाली सामग्री या बनाये जाने वाली तस्वीर की दो प्रतिया विज्ञापन का आकार तथा जितने समय के लिये आज्ञा मागी गयी हो उसके उल्लेख के साथ अधिशासी अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए । जो उसके विषय, भाग तथा स्थान की उपयुक्तता आदि को देखते हुए अशिष्टता, अश्लीलता, उत्तेजनात्मकता तथा उसी नैतिक दृष्टिकोण से विज्ञापन के आपत्तिजनक चरित्र की जांच करने के पश्चात लिखित रूप से प्रदान की जायेगी ।

5. इन उपनियमों के अंतर्गत प्रत्येक आज्ञा के स्वीकार किये जाने पर निम्नलिखित दर से शुल्क जमा करना होगा ।

क्रमांक	विज्ञापन /विज्ञापन बोर्ड का आकार	वार्षिक शुल्क	मासिक शुल्क	दैनिक शुल्क
1	आकार 10'×8' तक	1000.00	100.00	7.00
2	आकार 8'×6' तक	600.00	75.00	5.00
3	आकार 6'×4' तक	300.00	50.00	3.00
4	आकार 3'×2' तक	200.00	40,00	2.00
5	कपड़े के बैनर प्रति बैनर	-	200.00	-
6	कागज के छोटे पोस्टर चिपकाने वाले	प्रति सैकड़ा -100.00	-	-
7	हैण्ड बिल	प्रति हजार - 100.00	-	-

6. साईन बोर्ड का आकार 10'×8' से बड़ा नहीं होगा । अधिक की स्तिथि में उक्त दर पचास प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा ।

7. कपड़े के बैनर की चौड़ाई 3 फीट से अधिक नहीं होगी और वह सड़क के धरातल से 15' फिट की ऊचाई से कम पर प्रदर्शित नहीं किया जायेगा ।

8. अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि अपने द्वारा किसी सूचित आज्ञा को आपात स्तिथि में या जनहित में बिना किसी सूचना के रद्द कर दें, काट दें, या रोक दें । ऐसी स्थिति में शुल्क का यथोचित भाग वापस किया जायेगा ।

9. नगर पंचायत नानकमत्ता की सीमा के अन्दर अनाधिकृत विज्ञापन लगा होने पर अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा की वह उसके मूल्य जोखिम और खर्च पर हटा दें, और इस प्रकार किया गया व्यय नगर पंचायत अधिनियम के अध्याय 6 के अंतर्गत उस व्यक्ति या फर्म से वसूल कर लिया जायेगा

। जिसके लिये या जिनका विज्ञापन करने के लिये वह लगवाया गया था । यदि विज्ञापन हटाये जाने की तिथि के 15 दिन सूचना देकर विज्ञापन बोर्ड / सामग्री को नीलाम कर सकने को स्वतंत्र होंगे ।

10. अधिशासी अधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध नगर पंचायत अध्यक्ष को अपील की जा सकती है किन्तु प्रतिबन्ध ये है कि सम्बंधित आदेश को प्राप्त करने की तिथि से अपील 30 दिन के अन्दर दायर की जाय ।

11. उपरोक्त नियम 5 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क निम्नलिखित पर देय न होगी :-

(क) ऐसे विज्ञापन जो सरकारी अथवा नगर पंचायत द्वारा कराये या लगवाये जायेंगे ।

(ख) ऐसा साईन बोर्ड जो सबंधित दुकान / मकान में होने वाले व्यवसाय का सूचक हों ।

(ग) सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक विज्ञापन ।

दण्ड

यू०पी०म्यू०एक्ट, 1916 की धारा 299 की उपधारा (1) के द्वारा प्राप्त अधिकारों को प्रयोग करके नगर पंचायत नानकमत्ता एतदद्वारा यह निर्देश देती हैं की इस नियमावली का उल्लघंन करने वाला दण्ड का भागी होगा, जो कि रु० 1000.00 (एक हजार) रुपये तक हों सकता हैं और यदि उल्लघंन निरंतर जारी रहें तो प्रथम दोष सिद्ध की तिथि से प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हों जाय कि अपराध कर रहा हैं, पच्चीस रुपये दैनिक की दर से दण्ड दिया जा सकता हैं ।

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत नानकमत्ता,
ऊधम सिंह नगर।

ह0 (अस्पष्ट)
अध्यक्ष,
नगर पंचायत नानकमत्ता,
ऊधम सिंह नगर।

कार्यालय नगर पंचायत, भिकियासैंण जिला–अल्मोड़ा

सार्वजनिक सूचना

10 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 183/न0पं0भि0/प्रोटो0से0मै0/उपनियम/2021/2021–22–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 597 दिनांक 22 मई 2017 के अनुपालन में नगर पंचायत भिकियासैंण, जिला–अल्मोड़ा द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य में) की धारा 276 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार तथा धारा 298 के खण्ड झ (घ) में दी गई उपनियम बनाये जाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा 301 के अन्तर्गत दी गई शक्ति के अनुसार उपविधि का प्रकाशन करने हेतु नगर पंचायत भिकियासैंण की बोर्ड की बैठक दिनांक 10–09–2021 के प्रस्ताव संख्या–86 द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमैन्ट 2021 बनाये जाने की स्वीकृति के उपरान्त यह विज्ञप्ति आपत्ति एवं सुझाव चाहने हेतु प्रकाशित की जा रही है, जिससे नागरिकों पर प्रभाव पड़ने जा रहा हैं।

अतः लोकहित में सुविधा, सुरक्षा एवं नियन्त्रण व विनियमन करने हेतु प्राटोकॉल फॉर सेप्टेज मैनेजमैन्ट 2021 में यदि किसी संस्था, व्यक्ति विशेष, फर्म, उद्योग, विभाग आदि की कोई आपत्ति एवं सुझाव हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय नगर पंचायत भिकियासैंण में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति एवं सुझाव पर कोई विचार नही किया जाएगा।

उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकाल 2017 के अनुसार

फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम.) उपनियम नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा)

भाग 1: उपनियम(Bylaws)

1. शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

यह उपनियम नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम.) उपनियम, 2021" कहलाएँगे। ये नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) के अधिकार क्षेत्र में/पर लागू होंगे। यह उपनियम शासकीय गजट मे प्रकाशित होने की तिथि से मान्य होंगे

2. अधिकार

यह उपनियम निम्नलिखित कानून के प्रावधानों को कार्यान्वयन में लाने के लिए सक्षम करते है

a) उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकोलए 2017
b) राष्ट्रीय नीति फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम.) 2017
c) CPHEEO मैनुअल ऑन सीवरेज एंड सीवेज मैनेजमेंट, 2013
d) मॉडल बिल्डिंग उपनियमए 2016 और अन्य लागू बिल्डिंग कोड
e) मैनुअल स्कैवेंजर्स (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों) के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियमए 2013
f) IS Code 2470 Part I & II 1985 (Reaffirmed 1996)-Code of Practice for Installation of Saptic Tanks (सेप्टिक टैंक की स्थापना के लिए अभ्यास संहिता)
g) केंद्रीय कानून, नियम और विनियम (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986)
h) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
I) उत्तराखंड के समस्त राज्य कानून पानी और स्वच्छता से संबंधित

3. विषय क्षेत्र

यह उपनियम नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) की प्रशासनिक सीमा के भीतर FSSM में लगे सभी हितधारकों के लिए लागू है- ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम (ओ.एस.एस.) (OSS) स्वामी और उपयोगकर्ता, डीस्लजिंग और सेप्टज ट्रांसपोर्टेशन आपरेटर, सेप्टेज उपचार और निपटान के लिए जिम्मेदार सभी एजेंसियां, शहरी स्थानीय निकाय, सेप्टेज मैनेजमेंट सेल (एस.एम.सी.)- समेत

यह उपनियम नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) में स्थित सभी भवनों पर लागू होंगे चाहे सार्वजनिक या निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, औद्योगिक, प्रस्तावित, नियोजित या मौजूदा।

4. सेप्टेज मैनेजमेंट सेल (एस.एम.सी) (SMC)

उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकोल 2017 अनुसार नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल (SMC) का गठन करेगा जिन में निम्नलिखित सदस्य रहेंगे:

क्र0सं0	पद	सदस्य
1	सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM), भिकियासैंण	अध्यक्ष
2	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, भिकियासैंण	सदस्य/सचिव
3	सहायक अभियन्ता पेयजल निगम नौला	सदस्य
4	सहायक अभियन्ता जल संस्थान, भिकियासैंण	सदस्य
5	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हल्द्वानी	सदस्य
6	प्रभारी चिकित्साधिकारी, सा0स्वा0केन्द्र भिकियासैंण	सदस्य
7	एस0एम0सी0 के परामर्श हेतु आमंत्रित अन्य तकनीकी विशेषज्ञ	सदस्य

नगर पंचायत भिकियासैंण और SMC इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा इसके अंर्तगत संचालन की निगरानी करेंगे और (Non Complying actors) पर पेनल्टी लगा सकते हैं। इन उपनियमों में निर्धारित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए SMC की बैठक समय-समय पर आहूत की जाएगी। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) जो सदस्य सचिव हैं SMC की बैठक बुलाएँगे।

SMC की निगरानी जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति (Monitoring Committee) द्वारा की जाएगी, जैसा कि उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकोल, 2017 में उल्लिखित है।

5. ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम (ओ.एस.एस.) (OSS) का निर्माण और रखरखाव

यह खंड ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम (OSS) (जैसे कि सेप्टिक टैंक, गड्ढे, बायो-डाइजेस्टर आदि) के निर्माण और रखरखाव में विभिन्न हितधारकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की रूपरेखा देता है।

5.1 नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) में स्थित घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थानों में ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम (OSS) के स्वामी के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ:

5.1.1 सेप्टिक टैंक/OSS का डिजाइन और निर्माण

- स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिसर के शौचालयों में सोख गड्ढे के साथ सेप्टिक टैंक (Septic Tank with soak Pit) या अन्य OSS का ठीक से निर्माण किया गया है, जैसा कि IS Code 2470 भाग I & II, 1985 (Reaffirmed 1996) और CPHEEO मैनुअल, 2013 में उल्लिखित है। (देखें अनुबंध G)
- स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि OSS का समुचित कार्य हो रहा है ताकि मल या अपशिष्ट का स्राव, रिसना, रिसाव या अन्यथा बचने से पर्यावरण में कोई प्रदूषण न हो। इसके लिए OSS की समय-समय पर मरम्मत का काम (repair or retrofitting) मालिक द्वारा किया जाएगा।
- स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि OSS में छत का पानी, सतह-पानी, रन-ऑफ (run-off) या बारिश का पानी प्रवेश नहीं करेगा।
- स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि OSS से अपशिष्टों (effluents) का सुरक्षित निपटान सोख गड्ढों या सीवर नेटवर्क के माध्यम से किया जाए।

5.1.2 OSS का खाली कराना (डीस्लजिंग) (desludging)

- स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि OSS को नियमित रूप से खाली कराए (दो वर्ष छः माह में कम से कम एक बार या टैंक दो-तिहाई भरा होए जो भी पहले हो)।
- स्वामी नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) को सूचित करेंगे जब सेप्टिक टैंक या containment unit की सफाई करनी है।
- जहाँ स्वामी निजी डीस्लजिंग ऑपरेटर की सेवाएँ ले रहे हैं, वे केवल उन ऑपरेटरों की सेवा लेंगें जिन के पास FSSM सेवाएँ प्रदान करने के लिए नगर पंचायत भिकियासैंण द्वारा जारी परमिट या लाइसेंस है।

5.1.3 उपभोक्ता शुल्क का भुगतान

- स्वामी, नगर पंचायत भिकियासैंण या लाइसेंस युक्त निजी ऑपरेटरों द्वारा FSSM सेवाओं के लिए उपभोक्ता शुल्क का उचित और समय पर भुगतान सुनिश्चित करेंगे, जैसा कि SMC द्वारा तय किया गया है और बाद में नगर पंचायत भिकियासैंण द्वारा अधिसूचित किया गया है।

5.2 नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) के कर्तव्य एवं ज़िम्मेदारियाँ

5.2.1 नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) में स्थित सभी OSS (Septic Tank, pits, bloditester etc) की रजिस्ट्री

- नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) अपने अधिकार क्षेत्र में निर्मित सभी OSS के एक रजिस्टर बनाए रखेगा, जिसमें सभी विवरण होंगे जैसे कि स्वामी का नाम, GPS स्थान, OSS का प्रकार, आकार और स्थिति, खाली करने की आवृति आदि जैसा कि उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकोल 2017 में उल्लिखित है। इसके लिए नगर पंचायत भिकियासैंण सर्वेक्षण या अन्य तरीकों का उपयोग कर सकता है।
- सभी नए निर्माणों को शामिल करने के लिए OSS की रजिस्ट्री को अपडेट किया जाएगा ।

5.2.2 OSS का उचित निर्माण और डिजाइन सुनिश्चित करना

- नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) अपने अधिकार-क्षेत्र में पंजीकृत नए निर्माणों को केवल तभी अनुमोदित करेगा जब OSS का निर्माण IS Code 2470 भाग I और II और CPHEEO मैनुअल में निर्धारित मानकों के अनुसार है, यदि उल्लंघन हैं, तो नगर पंचायत भिकियासैंण दोषपूर्ण निर्माण के मालिकों को नोटिस जारी करेगा ।
- नगर पंचायत भिकियासैंण, जहाँ संभव हो, OSS को डिजाइन विनिर्देशों के अनुरूप में लाने के लिए रेट्रोफिटिंग (retrofitting) के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

5.3 SMC के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ

- SMC नगर पंचायत भिकियासैंण को समय-समय पर निगरानी करने के लिए निर्देशित करेगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि OSS का उचित रखरखाव हो ।
- SMC समय.समय पर FSSM से संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी करेगा जैसा कि उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकोल 2017 में उल्लिखित है।

6. मल और सेप्टेज का खाली करवाना और परिवहन

यह खंड हितधारकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है ताकि नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) में स्थित OSS रोकथाम इकाइयों (Containment unit) से मल और सेप्टेज (FSS) का उचित संग्रह/खाली कर न हो सके तथा उपचार और सुरक्षित निपटान/पुनः उपयोग के लिए, इसका निर्धारित साइटों (designated sites/treatment facility) तक सुरक्षित परिवहन हो सके।

6.1 FSS के संग्रह और परिवहन में नगर पंचायत भिकियासैंण के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ

6.1.1 डीस्लजिंग (Desludging) और सेप्टेज परिवहन वाहनों का लाइसेंसिंग और पंजीकरण

- नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) अपने अधिकार-क्षेत्र में उचित पंजीकरण/लाइसेंस/परमिट के बिना कोई भी डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटर को काम करने की अनुमति नहीं देगा। इसमें निजी-स्वामित्व के साथ-साथ सरकार के वाहन भी शामिल हैं (नगर पंचायत भिकियासैंण, जल संस्थान आदि)। इसके अलावा यह नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) के बाहर से आने वाले वाहनों (दोनों, निजी और सरकारी) पर भी लागू होता है।
- नगर पंचायत भिकियासैंण स्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटरों को अपने अधिकार क्षेत्र में संचालित करने के लिए लाइसेंस/परमिट प्रदान करेगा । राज्य FSSM प्रोटोकॉल में उल्लिखित और SMC द्वारा अधिसूचित अनिवार्य तकनीकी, प्रशासनिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ऑपरेटरों को ही लाइसेंस/परमिट दिए जाएँगे (अनुबंध B देखें) ।
- नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) के बाहर से आने वाले ऑपरेटरों को भी (दोनों, निजी और अन्य ULB जल संस्थान आदि के स्वामित्व वाले) अपने उद्भव के ULB (ULB of origin) द्वारा लाइसेंस प्राप्त होना आवश्यक है, यदि उन्हें नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) के भीतर संचालन की अनुमति प्राप्त करनी है। नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) ऐसे वाहनों के प्रवेश की एक लॉगबुक (Log book) बनाए रखेगा । नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) में इन वाहनों के संचालन की शर्तें (SMC) द्वारा उचित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तय की जाएंगी।
- नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) यह सुनिश्चित करेगा कि ऑपरेटरों के लाइसेंस समय-समय पर नवीनीकृत किए जाएं जैसा कि (SMC) द्वारा तय किया गया है। लाइसेंस का नवीनीकरण के लिए अनिवार्य तकनीकी, प्रशासनिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। (अनुबंध B देखें)

6.1.2 डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहनों की प्रप्तिकरण और कर्मचारियों की भर्ती

- नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) यह सुनिश्चित करेगा कि अपने अधिकार क्षेत्र में FSS के संग्रह और परिवहन के लिए डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहन पर्याप्त संख्या में हो, या तो नगर पंचायत भिकियासैंण खुद वाहन प्राप्त करे या टेंडर आमंत्रित करके निजी ऑपरेटरों का चयन करें।
- नगर पंचायत भिकियासैंण अपने वाहनों को चलाने के लिए केवल FSS की सुरक्षित संभालन में प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों को ही नियुक्त करेगा।
- यदि नगर पंचायत भिकियासैंण द्वारा निजी ऑपरेटरों की सेवाएँ टेंडर के माध्यम से प्राप्त करी जाएँगी तो अनुबंध प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जाएगा । नवीनीकरण सशर्त है ऑपरेटर के निष्पादन पर और उनके स्टेट FSSM प्रोटोकॉल में वर्णित और SMC द्वारा अधिसूचित इन वाहनों के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। (अनुबंध B देखें)।

6.1.3 डीस्लजिंग ऑपरेटरों की निगरानी

- नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सेप्टेज परिवहन वाहन, नगर पंचायत भिकियासैंण से एकत्र किया FSS केवल SMC द्वारा चिन्हित स्थलों (site)/ उपचार सुविधाओं (treatment facilities) पर निस्तारण करेंगे।
- नगर पंचायत भिकियासैंण सुनिश्चित करेगा कि सभी सेप्टेज परिवहन टैंकर GPS सिस्टम से युक्त है जिससे उनकी ट्रैकिंग (tracking) की जा सकती है।
- नगर पंचायत भिकियासैंण FSS के संग्रह, परिवहन और निपटान के लिए जॉब-कार्ड (job card) पंजीकृत डीस्लजिंग ऑपरेटरों को प्रदान करेगा हर डीस्लजिंग ऑपरेशन को रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए (फार्मेट के लिये अनुबंध D देखें)। जॉब-कार्ड की एक प्रति OSS के मालिक को सौंप दी जाएँगी, एक दूसरी प्रति निपटान स्थल पर और तीसरी प्रति नगर पंचायत भिकियासैंण कार्यालय में जमा की जाएगी । इस जॉब कार्ड पर OSS के मालिक, डीस्लजिंग ऑपरेटर, ट्रीटमेंट यूनिट में प्लांट मैनेजर और नगर पंचायत भिकियासैंण के नोडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- नगर पंचायत भिकियासैंण भुगतान का प्रमाण दिखाने के लिए OSS मालिकों को रसीदें प्रदान करेगा।
- नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) इन विनियमों के उल्लंघन में पाए जाने वाले ऑपरेटरों पर penalty/दंड लगाएगा। (अनुबंध F देखें)
- नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) किसी भी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द करेगा जो लाइसेंस नवीनीकृत करने में विफलता करे, या इन नियमों या मैनुअल स्कैवेंजर्स (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों) के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का बार-बार उल्लंघन करे ।

6.1.4 नगर पंचायत भिकियासैंण की अन्य जिम्मेदारियाँ

नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) निम्नलिखित जिम्मेदारियां भी निभाएगा:

- अपने अधिकार-क्षेत्र में सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय को निर्दिष्ट अंतराल पर खाली करवाना या जब टैंक दो-तिहाई भरा हुआ हो, जो भी पहले हो ।
- नगर पंचायत भिकियासैंण सीमा के भीतर स्थित भवनों का सर्वेक्षण और निरीक्षण करना और उन मालिकों या भवनों को नोटिस/जुर्माना जारी करना जो इस अधिनियम के अनुरूप नहीं हैं।
- नगर पंचायत भिकियासैंण प्रत्येक डीस्लजिंग ऑपरेशन के बाद घरों से एकत्र किए जाने वाले फीड बैक फॉर्म प्रदान करेगा।
- नगर पंचायत भिकियासैंण App-आधारिक/फोन कॉल/SMS आधारित डीस्लजिंग सेवाओं जैसे विकल्पों की खोज कर सकता है, जो नगर पंचायत भिकियासैंण को वास्तविक समय (real time) के आधार पर डेटाबेस को अपडेट करने और उपभोक्ता फीड बैक (user feedback) से अवगत कराने में मदद करे।

शेड्यूल्ड डीस्लजिंग (Scheduled Desludging)- अधिनियम की धारा 5.1.2 में वर्णित समय-अवधि के अनुसार नगर पंचायत भिकियासैंण अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित OSS को खाली करने के लिए मासिक कार्यक्रम (monthly schedule) विकसित कर सकता है ।

6.2 डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटरों के कर्तव्य एवं ज़िम्मेदारियाँ

6.2.1 परमिट/लाइसेंस के लिए आवेदन और मानकों के अनुपालन

- जो भी व्यक्ति नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) के अधिकार-क्षेत्र में FSS के संग्रह और परिवहन के लिए सेवाएँ प्रदान करना चाहता है, वह नगर पंचायत भिकियासैंण से अपेक्षित लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा। (फार्मेट के लिये अनुबंध C1 देखें)

- आवेदन देने से पहले, आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि उन के वाहन डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहनों के लिये SMC द्वारा अधिसूचित तकनीकी, प्रशासनिक, सुरक्षा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं । इस में यह सुनिश्चित करना शामिल होगा कि टैंक पानी-तंग और रिसाव-प्रूफ (water-tight and leak proof tankers) हो, और यांत्रिक (desludging) उपकरण (mechanical desludging equipment) के साथ युक्त हो (अनुबंध B देखें)। इसके अतिरिक्त केवल FSS की सुरक्षित संभालन में प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों को ही काम पर रखेंगे।
- ऑपरेटरों को लाइसेंस के लिये आवेदन के समय, और नवीनीकरण के समयए SMC द्वारा परिभाषित शुल्क का भुगतान करना होगा । (धारा 6.3.2 देखें)
- लाइसेंस-प्राप्त/पंजीकृत ऑपरेटर समय-समय पर अपने लाइसेंस/परमिट के नवीनीकरण के लिए आवेदन करेंगे जैसा कि SMC द्वारा तय किए गए हों।

6.2.2 संचालन के मानदंडों के अनुपालन

- ऑपरेटर SMC द्वारा तय किए गए और नगर पंचायत भिकियासैंण द्वारा अधिसूचित किए गए संचालन के सभी मानदंडों का पालन करेगा। (अनुबंध C2 देखें)
- ऑपरेटर नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) की सभी निगरानी आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे जैसे कि सेप्टेज संग्रह और परिवहन टैंकरों पर जीपीएस ट्रैकिंग (GPS Tracking) सक्षम करना।
- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि एकत्र किए गए सेप्टेज को किसी भी जल निकाय या किसी भी अनाधिकृत भूमि में नहीं डाला जाए।
- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि सफाई के समय और निपटान के समय के बीच का अंतर 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।

6.2.3 अधिसूचित दरों के अनुसार फीस का निर्धारण

- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे डीस्लजिंग सेवाओं के लिए SMC द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक शुल्क OSS मालिकों से नहीं लेंगे।

6.2.4 दस्तावेजों का रखरखाव

- ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टेज संग्रह, परिवहन और निपटान के लिए नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) द्वारा प्रदान किए गए जॉब-कार्ड (JOB CARD) OSS के मालिक, ट्रीटमेंट यूनिट में प्लांट मैनेजर/ऑपरेटर, डीस्लजिंग ऑपरेटर, और नगर पंचायत भिकियासैंण के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे, और प्रतियाँ प्रत्येक को सौंपी जाएँगी । (फार्मेट के लिये अनुबंध D देखें)
- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि FSS के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) द्वारा जारी ऑपरेटर लाइसेंस की एक प्रति और मोटर वाहन पंजीकरण (motor vehicle registration) को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

6.2.5 श्रमिकों की सुरक्षा और सेप्टेज परिवहन के दौरान सावधानियों का पालन:

- लाइसेंस युक्त डीस्लजिंग ऑपरेटर FSS के केवल यांत्रिक संग्रह (mechanical desludging) और परिवहन में संलग्न होंगे और मैनुअल स्कैवेंजर्स (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों) के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के सभी नियमों का अनुपालन करेंगे।
- ऑपरेटर सभी कर्मचारी को SMC द्वारा निर्धारित अपेक्षित सुरक्षा गियर (Sefety gear) प्रदान करेंगे।
- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि FSS संग्रह और परिवहन में लगे सभी कर्मचारी पंजीकृत चिकित्सक या सरकारी अस्पताल से हर साल कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच करवाएँ और नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) के रिकॉर्ड में जमा करें।
- ऑपरेटर अपने द्वारा नियोजित, सेप्टेज के सफाई, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित सभी व्यक्तियों का बीमा करेंगे।
- सेप्टेज के सफाई, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति, संपत्ति, वाहन या पर्यावरण को होने वाली किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंस युक्त डीस्लजिंग ऑपरेटर पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे। ऑपरेटर ऐसे मामलों में मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जैसा कि नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) अदालत द्वारा अधिसूचित है।

- FSS के परिवहन के दौरान आकस्मिक रिसाव की स्थिति में, ऑपरेटर तुरंत उसको नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करेगा, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करेगा और साफ-सफाई की प्रक्रियाओं को पूरा करेगा। ऑपरेटर 24 घंटे में नगर पंचायत भिकियासैंण के संबंधित अधिकारियों को रिसाव और उसकी उपचारात्मक कार्रवाई के बारे में सूचित करेंगे। इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाले लाइसेंस युक्त ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

6.3 SMC के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ

6.3.1 सेप्टेज के संग्रह और परिवहन के लिए उपभोक्ता शुल्क निर्धारित करना

- सेप्टेज संग्रह और परिवहन के लिए उपभोक्ता शुल्क डीस्लजिंग संचालन के ओ&एम. की व्यय आवश्यकता (Operation & Maintenance Cost) पूरा करने के लिए प्रयुक्त होगा। SMC यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता शुल्क न्यूनतम रखा जाए। सभी दरों का निर्धारण हितधारकों के साथ उचित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता (OSS के स्वामी) पर कोई अनुचित बोझ नहीं है या ऑपरेटरों या नगर पंचायत भिकियासैंण को कोई अनुचित नुकसान नहीं होगा, और FSSM गतिविधियों को बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके।
- SMC नगर पंचायत भिकियासैंण को निर्देश दे सकता है कि उपभोक्ता शुल्क को संपत्ति कर (property tax) में शामिल करें।
- SMC यह भी निर्धारित करेगा कि उपयोगकर्ताओं से एकत्र उपयोगकर्ता शुल्क नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) (सुविधा शुल्क) जलसंस्थान (O&M शुल्क) और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर (सेवा शुल्क) के बीच कैसे साझा किया जाएगा।
- SMC संबंधित हितधारकों की उचित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से समय-समय पर इन दरों को संशोधित करेगा और उनको सूचित करेंगे।

6.3.2 लाइसेंसिंग शुल्क को निर्धारित करना

- लाइसेंस देने के लिए आवेदन के प्रसंस्करण के लिए SMC एक मामूली आवेदन शुल्क निर्धारित करेगा। शुल्क का भुगतान चेक (Cheque) या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) के नाम पर निम्नानुसार होगा

डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहन पंजीकरण शुल्क (एक वर्ष के लिए)

क्रम संख्या	मद	निर्धारित शुल्क/वाहन
अ.	प्रारम्भिक पंजीकरण शुल्क	रू. 2000.00
ब.	पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए शुल्क	रू. 1500.00

नोट:- प्रारंभिक पंजीकरण के पश्चात प्रति वर्ष डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहन का पंजीकरण नवीनीकरण करवाना आवश्यक होगा अन्यथा की दशा मे प्रारंभिक पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

शुल्क संशोधन के अधीन होंगे (अवधि और दरें SMC द्वारा तय की जाएँगी) (सभी दरें उचित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से SMC द्वारा तय की जाएँगी और नगर पंचायत भिकियासैंण द्वारा अधिसूचित की जाएँगी) ।

6.3.3 निगरानी की गतिविधियाँ

- SMC आवश्यकता के अनुसार सेप्टेज परिवहन वाहनों के लिए निष्पादन मानकों (performance standards) को जारी करेगा।
- SMC नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) में चलने वाले सेप्टेज परिवहन वाहनों के आवधिक निरीक्षण के लिए जिम्मेदार होगा कि वे निर्धारित मानकों के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं।
- यदि ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन पाया जाता हैए तो SMC नगर पंचायत भिकियासैंण को सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश देगा।
- SMC कोई भी ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन के लिए दंड को परिभाषित करेगा। (अनुबंध F देखें)

6.3.4 शिकायत निवारण

- SMC FSSM सेवाओं से संबंधित शिकायतें OSS के मालिकों, डीस्लजिंग ऑपरेटरों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से स्वीकार करेगी। यदि आवश्यक हो, SMC अपीलीय निकाय (Appellate Body) या शिकायत निवारण क्रियाविधि (Grevance Redressal Machanism) बना सकते हैं।

7. मल और सेप्टेज (FSS) का उपचार और पुन: उपयोग/निपटान

7.1 SMC के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ

7.1.1 उपचार और निपटान स्थल को चिन्हित करना

- SMC नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) से 20-25 कि.मी. के भीतर लाइसेंसधारी सेप्टेज परिवहन ऑपरेटरों द्वारा FSS के निपटान के लिए स्थान/उपचार केन्द्र को चिन्हित करेगा और उसको अधिसूचित करेगा ।
- CPHEEO की Draft Advisory on Land Application of Faecal Studge, 2020 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार, जहां उपचार की सुविधा (STP/FSTP) उपलब्ध नहीं है तथा अस्थायी उपाय के रूप SMC FSS की वैज्ञानिक लैंड एप्लिकेशन (scientific land application) को अधिसूचित कर सकती है।

7.2 डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटरों के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ

- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) से एकत्र किया गया FSS, केवल SMC द्वारा अधिसूचित साइट या उपचार केन्द्र में निपटाया जाएगा।
- डीस्लजिंग ऑपरेटर द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट-युक्त FSS (FSS containing Industial waste) का परिवहन या निपटान नहीं किया जाएगा।

7.3 उपचार केन्द्र एजेंसी के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ:

- उपचार केन्द्र ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निपटान के समय डीस्लजिंग ऑपरेटर के पास नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) द्वारा जारी वैध लाइसेंस या परमिट है।
- उपचार केन्द्र के प्रबंधक (plant manager) नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) द्वारा जारी किए गए FSS के संग्रह, परिवहन और निपटान के रिकॉर्ड (job card) पर हस्ताक्षर करेंगे जो निपटान के समय डीस्लजिंग ऑपरेटर द्वारा उत्पादित किया जाएगा।
- उपचार केन्द्र के संचालक FSS के निपटान के लिए टिपिंग शुल्क (tipping fee) के लिए रसीद प्रदान करेंगे।
- उपचार केन्द्र सेप्टेज के उपचार के लिए उपयुक्त तकनीक अपनाएगी। इसके अलावा, उपचार के बाद निस्तारण किया स्लज और अपशिष्ट जल (sludge and wastewater) को केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा जारी मानदंडों का पालन करना चाहिए। समय-समय पर उपचारित अपशिष्टों का परीक्षण करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे डिस्चार्ज मानकों (discharge criteria) के अनुरूप है।
- उपचार केन्द्र अंतिम उत्पाद (उपचारित अपशिष्ट जल और स्लज सहित) का अधिकतम पुन: उपयोग, मानकों और मानदंडों के अनुसार, सुनिश्चित करेगा। उपचारित अपशिष्ट जल का उद्योगोंए बिजली संयंत्र, सिंचाई और बागवानी उद्देश्य से पुन: उपयोग किया जाएगा । उपचारित अपशिष्ट जल को विभिन्न पुन: उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही नदी/जल में डाला जाएगा।
- FSS के निपटान के लिए असाधारण परिस्थितियाँ यदि उपचार केन्द्र के अधिक भार (overloading) या FSS की अवांछनीय गुणवत्ता (undesirable quality) के कारण उपचार केन्द्र FSS को स्वीकार करने में असमर्थ है, उपचार केन्द्र संचालक को सेप्टेज परिवहन ऑपरेटर को अस्वीकृति का कारण लिखित में देना होगा संबंधित कर्मियों के हस्ताक्षर के साथ। इस स्थिति में, सेप्टेज परिवहन ऑपरेटर द्वारा सेप्टेज को SMC द्वारा निर्दिष्ट अन्य स्थान पर निपटान करना होगा।

7.4 नगर पंचायत भिकियासैंण के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ:

- नगर पंचायत भिकियासैंण उत्तराखंड पेयजल निगम, उत्तराखंड जल संस्थान और उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्देशित किसी अन्य एजेंसी की सहायता से मौजूदा या आगामी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) में फीकल स्लज और सेप्टेज के सह-उपचार (co-treatment) की क्षमता की पहचान कर सकते हैं, और वैज्ञानिक तरीके से STP परिसर में सेप्टेज के उपचार और निपटान के लिए आवश्यक आधारिक संरचना तैयार कर सकते हैं।
- नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) उपचारित FSS के पुन: उपयोग की संभावनाओं का पता लगाएगा। खाद के रूप में फिर से उपयोग के लिएए इसे किसानों को मुफ्त में वितरित किया जाएगा।

8. IEC गतिविधियाँ

नगर पंचायत भिकियासैंण FSSM, के बारे में विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिये समय-समय पर निम्नलिखित IEC और क्षमता निर्माण (capacity building) गतिविधियों का कार्य करेगा

- OSS मालिकों, राजमिस्त्री आदि को वैज्ञानिक रूप से OSS का डिजाइन, निर्माण तकनीक, इसके आकार आदि के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए IEC को बढ़ावा देना।

- FSSM में लगे कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।
- सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए SOP (MoHUA 2018) के आधार पर सभी डीस्लजिंग ऑपरेटरों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना।

भाग-2 अनुबंध (Annexures)

I. अनुबंध A1 - परिभाषाएं

सेप्टेज प्रबंधन में मूल परिभाषा के लिए निम्नलिखित व्याख्याएं प्रदान की गई हैं-

फीकल स्लज - यह गड्ढे शौचालय, सेप्टिक टैंक, एक्वा प्राइवेट और ड्राई टॉयलेट जैसे ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम (OSS) के तल पर जमा हुआ पदार्थ हैं, जो कच्चा है या आंशिक रूप से पचा हुआ है, और घोल या अर्धनिर्मित रूप में होता है ।

सेप्टेज-सेप्टिक टैंक, से सपूल, या इस तरह के ऑनसाइट उपचार सुविधा से पंप की जाने वाली तरल और ठोस (मैल, स्लज और ग्रीस) पदार्थ जब यह समय के साथ जमा हो जाता है। इसमें कई रोग पैदा करने वाले जीव के साथ ग्रीस, ग्रिट, बाल और मलबे के संदूषण होते हैं ।

एफ्लुएंट (effluent)- सेप्टिक टैंक से सतह पर तैरने वाला तरल निर्वहन। इसे नालियों और सीवरों के नेटवर्क में एकत्र किया जा सकता है और उचित रूप से डिजाइन किए गए उपचार केन्द्र में उपचार किया जा सकता है ।

ऑन साइटसैनिटेशन सिस्टम (OSS)- स्वच्छता प्रणाली जहां मल और अपशिष्ट जल एकत्र किया जाता है और उसी स्थान पर संग्रहीत या उपचारित किया जाता है। गड्ढे शौचालय और सेप्टिक टैंक इसके उदाहरण हैं ।

सेप्टिक टैंक - एक भूमिगत टैंक जो अपशिष्ट जल का उपचार ठोस पदार्थों के अवसादन (sedimentation) और अवायवीय पाचन (anaerobic digestion) के माध्यम से करता है। अपशिष्ट को सोखता गड्ढों या छोटे बोर के सीवरों में डाला जा सकता है। सेप्टिक टैंक के तल पर जमा होने वाले स्लज को समय समय पर खाली करने और उपचारित करने की आवश्यकता होती है (जब यह निर्धारित गहराई तक पहुंच जाता है या निश्चित डीस्लजिंग आवृति (desludging frequiency) पर ।

डीस्लजिंग (Desludging)- सेप्टिक इम्हॉफ टैंक, इंटरसेप्टर टैंक या अवसादन टैंक जैसे उपचार टैंकों से स्लज/कीचड़ या जमा हुए ठोस पदार्थ को निकालना ।

सीवेज - शौचालय से निर्वहन किया गया अपशिष्ट जल जिस में मानव शरीर के अपशिष्ट पदार्थ (मल और मूत्र आदि), अंग या असंगत होते हैं। सेप्टिक टैंक या इस तरह की किसी भी सुविधा से निकलने वाली अपशिष्ट भी सीवेज है ।

सीवरेज सिस्टम- सीवेज के संग्रह के लिए भूमिगत नाली को सीवर कहा जाता है। सीवरेज सिस्टम सीवर के नेटवर्क को कहलाता है जो प्रत्येक संपत्ति से उत्पन्न सीवेज को सीवेज पम्पिंग स्टेशन तक ले जाता है, जहां से इसे उपचार के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पंप किया जाएगा ।

उपचार (treatment)- यह निर्दिष्ट सुविधाओं में सेप्टेज के आगे के प्रसंस्करण को संदर्भित करता है जिस्से इस का पुनः उपयोग या सुरक्षित निपटान हो सकता है ।

सह-उपचार (co-treatment)- STP पर फीकल स्लज और सेप्टेज (FSS) का सह-उपचार एक उपचार प्रक्रिया है जिसमें STP FSS को प्राप्त करता हुए इसका पूर्व-उपचार करता है, और उचित प्रक्रिया इकाइयों (Process units) में वितरित करता है।

डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहन (Septage Transportation vehicles)- वैक्यूम पंपों से युक्त वाटर-टाइट, लीक प्रूफ टैंकर जो OSS से FSS के सुरक्षित संग्रह, इसके सुरक्षित परिवहन और निर्दिष्ट सेप्टेज उपचार सुविधाओं में इसके निपटान के लिए उपयोग किया जाता है ।

सेप्टेज मैनेजमेंट सेल (एसएमसी) (SMC)- नगर पंचायत मिकियासैंण स्तर पर FSSM गतिविधियों की निगरानी के लिए गठित निकाय जिसमें सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM), अधिशासी अधिकारी, उत्तराखंड जल संस्थान, उत्तराखंड पेयजल निगम, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि और अन्य तकनीकी सलाहकार शामिल हैं

II. अनुबंध A2 - लघुरूप

FSS- Faecal Sludge and Septage
FSSM- Faecal Sludge and Septage Management
FSTP- Faecal Sludge Treatment Plant
OSS- Onsite Sanitation Systems
SMC- Septage Management cell
STP- Sewage Treatment Plant
ULB- Urban Local Body

III. अनुबंध B- डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटर को लाइसेंस प्रदान करने के लिए नियम और शर्तें (तकनीकी, प्रशासनिक, सुरक्षा और अन्य आवश्यकताएं):

सभी डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन परिचालक, निजी या नगर पंचायत भिकियासैंण के स्वामित्व वाले, सेप्टेज के सुरक्षित संग्रहण और परिवहन के लिए निम्नलिखित नियम और शर्तों को पूरा करेंगे । ये शर्तें नगर पंचायत भिकियासैंण द्वारा डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं। इन प्रावधानों का उल्लंघन लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा और उल्लंघन करने वाला ऑपरेटर निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए अनिवार्य शर्तें		
तकनीकी आवश्यकताएं	**हाँ**	**नहीं**
OSS और मेनहोल का पता लगाने और मैनहोल खोलने के लिए बेलचा, pry बार, स्क्रू ड्राइवर्स और अन्य हाथ उपकरण		
FSS पम्पिंग और OSS में पानी मिलाने के लिए (Hose)		
टैंकर रिसाव-प्रूफ, गंध-प्रूफ और स्पिल-प्रूफ (leak-proof, odour-proof and spill-proof) है और उचित सक्शन और डिस्चार्ज उपकरण से युक्त है।		
टैंकर नगर पंचायत भिकियासैंण द्वारा ट्रैकिंग और निगरानी के लिए GPS से युक्त है ।		
किसी भी औद्योगिक अपशिष्ट (industial waste) के परिवहन के लिए टैंकर का उपयोग नहीं किया जाता है ।		
प्रशासनिक आवश्यकताएँ	**हाँ**	**नहीं**
वाहन के पास मोटर वाहन विभाग से पंजीकरण प्रमाण पत्र है ।		
वाहन के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध प्रमाण पत्र है ।		
वाहन के सभी नामित ड्राइवरों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हैं ।		
डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन के लिए नियुक्त सभी कर्मचारियों के पास पंजीकृत चिकित्सक या सरकारी अस्पताल से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (health certificate) हैं ।		
डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहन को नीला रंग दिया गया है जिस पर सफेद रंग में 'SEPTIC TANK WASTE' अंग्रेजी में और "मल कुंड अपशिष्ट" हिंदी में लिखा है और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ।		
सुरक्षा आवश्यकताएँ	**हाँ**	**नहीं**
सभी कर्मचारी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (personal protective gear) से लैस हैं जैसे कि हार्ड हैट (hard hat) और कपड़े जो परावर्तक और रासायनिक-स्प्लैश प्रतिरोधक (reflective and chemical splash resistant) है।		
फेसमास्क/रेस्पिरेटर जो धूल, धुएं, सूक्ष्म जीवों आदि से बचाता है ।		
सुरक्षात्मक हाथ दस्ताने, जूते और सुरक्षा चश्मे (glove, boot, safety goggles)		
आपातकालीन प्राथमिक चिकित्साकिट ;पितेज (first aid kit) ।		
डिसइंफेक्टेंट और स्पिल्ड सामग्रियों को इकट्ठा करने और साफ करने के लिए बैग ।		
अन्य सुरक्षा गियर जो लागू है ।		
अन्य आवश्यकताएं	**हाँ**	**नहीं**
सभी कर्मचारियों/श्रमिकों को समय-समय पर प्रशिक्षण (वर्ष में कम से कम एक बार) प्रदान किया जाना है (उपकरण के उचित उपयोगए स्लज के सुरक्षित संग्रह, परिवहन और निपटान का संचालन, और प्राथमिक चिकित्सा पर)।		
सरकारी अस्पताल में कर्मचारियों की आवधिक स्वास्थ्य जांच (वर्ष में कम से कम एक बार) की गई है और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान में लगे सभी कर्मचारियों के फिटनेस प्रमाण पत्र (fitness certificate) प्रस्तुत की गई।		

Vi अनुबंध C1 . नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) में सेप्टेज संग्रह, परिवहन और निपटान की लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र

Application form for License to Collect, Transport and Dispose FSS in __Name Of ULB__

1	Name(s) of the applicant (Mr./Ms.):					Self Attested Recent Passport Size Photograph	
2	Nationality: (Indian/ Other):						
3	Address of correspondence:						
4	Address of Head Office or Registered Office:						
5	Contact No. :	(O):				(M):	
6	Email ID:						
7	Details of Vehicles						
	Registration no of Vehicles	Type of Vehicle	Model No.	Tank Capacity (litres)	GPS Details	Insurance Valid Upto	Pollution Certificate valid Upto
i							
ii							
iii							
iv							
8	Fitness Certificate of Vehicles Valid Upto:						
	(i)				(ii)		
	(iii)				(iv)		
9	List of attached documents (self attested):						
	Identity Proof				Registration certificates		
	Pollution certificates				Address Proof		
	Fitness Certificate				Driving License		
	Certificate of insurance and policy schedules						

सेप्टेज परिवहन वाहन का मालिक नोटरी कृत रु.10 ई स्टांप पर अपने कर्मचारियों की संख्या तथा उनके नाम, पिता का नाम, पता और शैक्षिक योग्यता का विवरण, उनके ड्राइविंग लाइसेंस के प्रति के साथ देंगे।

पंजीकरण शुल्क का भुगतान CASH/D.D. No..... के माध्यम से किया गया है।

दिनांक..... बैंक का नाम.....

मैं/हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में यथार्थ है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम.) उपनियम नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा), 2021' पढ़ा और समझा है। मैं सहमत हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई गई तो लाइसेंस के लिए प्रस्तुत किया गया मेरा/हमारा आवेदन किसी भी समय रद्द किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी।

दिनांक..... संलग्न दस्तावेज की संख्या.....

आवेदकों के हस्ताक्षर:

1. अनुबंध C2- नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) द्वारा जारी डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन के लिये लाइसेंस/पंजीकरण

ULB LOGO

Municipal Corporation / Municipality / Town Panchayat of
___Name of ULB___

LICENSE

In accordance with all the terms and conditions of the By-laws/ Regulations and any amendments made there under, Municipalities act rules, the special lisence conditions accompanying this lisence and applicable rules and laws of Government of Uttarakhand, the permission is hereby granted to:

License Holder's Name:		Photo
Address of Head/Regd Office:		
For the collection, transportation and disposal (at designated sites/ STPs) of faecal sludge and septage from onsite containments in __Name of ULB___.		
Lisence No. :		
Issuing Authority:		
Effective Date:		
Valid upto:		
Details of Vehicle:		

This license shall be subject to the compliance by the license holder of the conditions stated overleaf.

Signature and Seal of Issuing Authority

संचालन के नियम और शर्तें-

1. लाइसेंसधारी फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.एम.) उपनियम नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा), 2021' के प्रावधानों का अनुपालन करेगा ।

2. लाइसेंसधारी सभी गतिविधियों को इस तरह निष्पादित करेगा ताकि नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) द्वारा जारी किए गए मानकों को प्राप्त कर सकें ।

3 लाइसेंसधारी सभी स्थानीय विधानों का अनुपालन करेगा. जो इस लाइसेंस के तहत की जा रही गतिविधियों के लिए समय-समय पर लागू हो सकते हैं ।

4. लाइसेंसधारी निर्दिष्ट वाहनों को अच्छी और व्यावहारिक स्थिति में बनाए रखेगा ताकि किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके।

5. लाइसेंसधारी केवल प्रशिक्षित कर्मियों को नियुक्त करेगा और ऐसे सभी कर्मियों को सुरक्षात्मक गियर प्रदान करेगा। कर्मियों को एक ऑनसाइट रोकथाम इकाई (onsite containment unit) में प्रवेश करने और मैन्युअल स्कैवेंजिंग करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। असाधारण स्थितियों में, यह केवल अपेक्षित सावधानियों, सुरक्षा उपकरणों और नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) की अनुमति के साथ किया जा सकता है।

6. यह लाइसेंस किसी भी अन्य सामग्री या तरल पदार्थ या किसी भी प्रकार के औद्योगिक अपशिष्ट के संग्रह और परिवहन के लिए मान्य नहीं है ।

7. नगर पंचायत भिकियासैंण इस्सुइंग अथॉरिटी/SMC इस लाइसेंस की शर्तों को बदलने या इस लाइसेंस की वैधता के दौरान समय-समय पर आगे की शर्तों को लागू करने का अधिकार रखता है ।

8. लाइसेंसधारी ऑपरेटर को नगर पंचायत भिकियासैंण द्वारा निर्देशित सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान की पर्याप्त और सही रिकॉर्ड बनाए रखना है।

9. लाइसेंसधारी नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) की सभी निगरानी आवश्यकताओं का पालन करेंगे जैसे कि टैंकरों की जीपीएस ट्रैकिंग (GPS Tracking) स्थापित करना । उसके एक्सेस राइट्स (access rights) अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) या नगर पंचायत भिकियासैंण द्वारा अधिसूचित एजेंसी को दिए जाएंगे ताकि वाहन को ट्रैक (Track) किया जा सके ।

10. लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एकत्र किए गए सेप्टेज को केवल उन उपचार स्थलों पर ही ले जाया जाएगा जो नगर पंचायत भिकियासैंण SMC द्वारा निर्दिष्ट हैं

11. FSS का परिवहन, सुरक्षा और दक्षता के लिए और व्यस्त सड़कों और पीक ट्रैफिक से बचने के लिए, पूर्व निर्धारित मार्गों द्वारा किया जाएगा।

12. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि एकत्र किए गए सेप्टेज को किसी भी जल निकाय या किसी भी अनधिकृत भूमि में नहीं डाला जाए।

13. लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त गतिविधियों के लिए इन उपनियमो के अंतर्गत भाग-2 के बिंदु VI (अनुबंध-D) के अनुसार शुल्क लगाएगा।

II अनुबंध D- नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) में FSS के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड:

नगर पंचायत भिकियासैंण में फीकल स्लज और सेप्टेज (अल्मोड़ा)(FSS) के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड		
दिनांक	समय:	
1. ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम(OSS) के स्वामी का विवरण		
नाम:	पता:	
संपर्क नंबर-	स्थापना का प्रकार:	
2. OSS सिस्टम का विवरण		
निर्माण का वर्ष :	पिछली डी स्लजिंग (दिनांक):	
आउटलेट (outlet) मौजूद है (हां/नहीं)	यदि हाँ, तो इस से जुड़ा:	
कन्टैन्मेंट (containment) का आकार:	परत (हाँ/नहीं):	दीवारें : तल:

कक्षों की संख्या :		प्रत्येक बाफिल वाल (baffle wall) में छिद्र की संख्या :	
आयाम (मीटर में)	लम्बाई :	चोडाई :	गहराई:
	व्यास :	गहराई :	
GPS को ऑर्डिनेट	अक्षांश (Latitude):	देशांतर (Longitude):	
संपत्ति के भीतर कन्टैन्मेंट का स्थान:			

3. डीस्लजिंग *(Desludging)*

FSS की मात्रा (क्यूबिक मीटर में):	डीस्लजिंग में समय (घंटे में):
यात्रा की लंबाई (कि.मी.):	आने-जाने में समय (घंटे में):

4. डीस्लजिंग सेवा प्रदाता का विवरण

ऑपरेटर का नाम :	वाहन पंजीकरण नंबर:	नगर पंचायत भिकियासैंण लाइसेंस नंबर :

5. *हस्ताक्षर*

ड्यूटी पर कर्मचारी :	ऑपरेटर:	OSS स्वामी:

6. *निर्दिष्ट साईट/उपचार केंद्र पर निपटान*

समय (hh:mm):	FSS की मात्रा (क्यूबिक मीटर में):
सेप्टेज परिवहन कर्मचारियों का नाम:	STP / FSTP ऑपरेटर का नाम:

7. *हस्ताक्षर*

ड्यूटी पर सेप्टेज परिवहन कर्मचारी:	वाहन मालिक:	STP/FSTP ऑपरेटर:	नगर पंचायत भिकियासैंण अधिकारी :

III. अनुबंध E - नगर पंचायत भिकियासैंण (अल्मोड़ा) में डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन सेवाओं के लिये उपभोक्ता शुल्क की सूची

सारणी-2 उपभोक्ता लागत

क्र0सं0	भवन का वर्ग	शुल्क रूपये में (प्रति चक्कर)	सेप्टिक टैंक को खाली करने की लिए अंतराल
1	टीनशैड वाला मकान, अन्य समस्त मकान, दुकान, सरकारी/निजी कार्यालय, बैंक, सामुदायिक शौचालय/ मूत्रालय, रेस्टोरेन्ट, होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, सरकारी स्कूल/ कालेज, प्राइवेट स्कूल/कालेज, टू-व्हीलर शोरूम, विवाह हाल/बैंकट हाल, बार, सरकारी हास्पिटल नर्सिंग होम/क्लीनिक, पैथेलाजी लैब, निजी अस्पताल, चावल मिल/अन्य मिल	12000.00	दो वर्ष 06 माह में कम से कम एक बार या टैंक दो-तिहाई भरा हो, जो भी पहले हो।

नोट - नगर पंचायत, भिकियासैंण क्षेत्र के समस्त सम्पति के मालिकों द्वारा केवल पंजीकृत व्यक्ति/पंजीकृत वाहन के माध्यम से ही फिकल स्लज का निस्तारण किया जायेगा। भवन स्वामी द्वारा लाईसेन्सधारी से सेवा प्राप्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्य के दिन वाहन/ट्रान्स्पोर्टर का पंजीकरण नगर पंचायत, भिकियासैंण में वैद्य है या नही।

IV अनुबंध F- Fines and penalty

S.No.	प्रकार	सांकेतिक जुर्माना (Rs. में)	कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई
1	नाली/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा या असुरक्षित निर्वहन	1000.00	
1.1	दूसरी बार उल्लंघन	2000.00	
1.2	तीसरी बार उल्लंघन और आगे	5000.00	
2	OSS का अवैज्ञानिक डिजाइन और निर्माण	1000.00	
2.1	दूसरी बार उल्लंघन	2000.00	

2.2	तीसरी बार उल्लंघन और आगे	5000.00	
3	बिना ULB से पंजीकरण के डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहनों का संचालन	1000.00	
3.1	दूसरी बार उल्लंघन	5000.00	
3.2	तीसरी बार उल्लंघन और आगे	वाहन का पंजीकरण निरस्त करने हेतु आर० टी० ओ० को संस्तुति/3 माह के लिए परमिट निरस्त करना	
4	ट्रैफ़िक नियमों में अनुशंसित वैध प्रमाणीकरण के बिना डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहनों का संचालन	2000.00	
4.1	दूसरी बार उल्लंघन	3000.00	
4.2	तीसरी बार उल्लंघन और आगे	5000.00	
5	आकस्मिक रिसाव को नियंत्रित करने में गैर.अनुपालन	1000.00	
5.1	दूसरी बार उल्लंघन	2000.00	
5.2	तीसरी बार उल्लंघन और आगे	5000.00	
6	FSTP/STP से अनुपचारित FSS का निर्वहन	3000.00	
6.1	दूसरी बार उल्लंघन	5000.00	
7	(ULB/SMC) द्वारा सूचित किए गए स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर अनुपचारित FSS का निर्वहन	3500.00	
7.1	दूसरी बार उल्लंघन	5000.00	
7.2	तीसरी बार उल्लंघन और आगे	सम्बंधित डिस्लजिंग और सेप्टेज वाहन का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा	

उचित प्रक्रिया से सेप्टेज मैनेजमेंट मेल द्वारा निर्णय लिया जाता है और यूएलबी द्वारा अधिसूचित किया जाना है

अनुबंध G-, ऑनसाइट स्वच्छता रोकथाम इकाई (Onsite Sanitation Containment Unit) का निर्माण विवरण

यह अनुबंध एक साधारण सेप्टिक टैंक के डिजाइन और निर्माण के विवरण की समझ देना है देता है, जो कि फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) में उपयोग किए जाने वाले कई प्रकार के ऑनसाइट स्वच्छता रोकथाम इकाई में से एक है।

यहां दिए गए विवरण गृह और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार (MoHUA) और केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (CPHEEO) द्वारा "मैनुअल ऑन सीवरेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम" 2013 से तैयार किए गए हैं (http://cpheeo.gov.in/cms/manual-on-sewerage-and-sewage-treatment.php)

इस मैनुअल के भाग A-अध्याय 9 का शीर्षक 'ऑन.साइट सैनिटेशन' - सेप्टिक टैंक के निर्माण, संचालन और रखरखाव के विवरण के लिए संदर्भित किया जा सकता है।

(http://cpheeo.gov.in/upload/uploadfiles/files/engineering_chapter9.pdf)

I. सेप्टिक टैंक क्या है ?

सेप्टिक टैंक एक संयुक्त अवसादन और पाचन टैंक (combined sedimentation and digestion tank) है जहां सीवेज एक से दो दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। यहां, निलंबित ठोस टैंक के नीचे तक बस जाते हैं और एनारोबिक पाचन से गुजरते हैं। यह स्लज की मात्रा और जैव-निम्नीकरणीय कार्बनिक पदार्थों में कमी के साथ-साथ कार्बनडाइ ऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसों की रिहाई का कारण बनता है।

सेप्टिक टैंक से बहने वाले अपशिष्ट जल आगे के उपचार की आवश्यकता होती है, और एक उचित सीवरेज सिस्टम में निपटान किया जाना चाहिए ।

सेप्टिक टैंक केवल व्यक्तिगत घरों और छोटे समुदायों और संस्थानों के लिए अनुशंसित हैं, जिनकी आबादी 300 से अधिक नहीं है।

II. सेप्टिक टैंक का डिजाइन

सेप्टिक टैंक को पर्याप्त मात्रा में डिजाइन किया जाना चाहिए, और उचित इनलेट और आउटलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। वे आमतौर पर आकार में आयताकार होते हैं और या तो एक सिंगल टैंक या एक डबलटैंक हो सकते हैं। जहां डबल टैंक होता है, पहला कंपार्टमेंट आमतौर पर दूसरे के आकार से दो गुना होता है। तरल की गहराई 1.2 मीटर है और लंबाई से चौड़ाई का अनुपात 2-3 से 1 है (चित्र A1 देखें)

सेप्टिक टैंक का मुख्य उद्देश्य यह है कि टॉयलेट अपशिष्ट का ठोस हिस्सा तल पर बस जाए और सतह पर मैल (scum) जमा हो जाए। इन दो परतों (स्लज और मैल, sludge and scum) के बीच पर्याप्त अंतर होना चाहिए ताकि केवल सीवेज बहता है। इसलिए सेप्टिक टैंक को टॉयलेट अपशिष्ट के लिए स्थिर स्थिति (stilling conditions) प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि निलंबित ठोस वस्तु (suspended solids) को व्यवस्थित किया जा सके।

स्लज और मैल के संचय के लिए आवश्यक मात्रा की गणना करके, टॉयलेट अपशिष्ट सेप्टिक को 24 से 48 घंटे का अवधारण समय के लिए टैंक का डिज़ाइन किया जाना चाहिए।
सेप्टिक टैंक को नियमित रूप से खाली किया जाना चाहिए (1-3 वर्षों में एक बार)।
व्यक्तिगत घरों (20 उपयोगकर्ताओं तक) और आवास कालोनियों (300 उपयोगकर्ताओं तक) के लिए सेप्टिक टैंकों के अनुशंसित आकार क्रमशः टेबल A-1 और A-2 में नीचे दिए गए हैं।

टेबल A-1:20 उपयोगकर्ताओं तक सेप्टिक टैंक के अनुशंसित आकार

उपयोगकर्ताओं की संख्या	लंबाई (m)	चौड़ाई (m)	सफाई अंतराल के संबंध में तरल गहराई (m)	
			2 साल	3 साल
5	1.5	0.75	1.0	1.05
10	2.0	0.90	1.0	1.40
15	2.0	0.90	1.3	2.00
20	2.0	1.10	1.3	1.80

नोट:

a) यहां सिफारिश की गई क्षमताएं इस धारणा पर हैं कि सेप्टिक टैंक में केवल शौचालय अपशिष्ट का उपचार किया जाएगा। अन्य सभी अपशिष्ट जैसे कि रसोई का कचरा पानी, नहाने का पानी, सिंक से पानी का निकास, आदि को सीधे सीवेज सिस्टम में डाला जाएगा।

b) सेप्टिक टैंक के डिजाइन में कम से कम 300 मि.मी. (mm) का एक फ्रीबोर्ड (freeboard) शामिल होना चाहिए।

c) सेप्टिक टैंक का आकार IS:2470 (part 1) से अनुमानित पीक डिस्चार्ज की मान्यताओं पर आधारित है और सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जाएगी।

Table A-2 : 300 उपयोगकर्ताओं तक की आवासीय कॉलोनी के लिए सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार

उपयोगकर्ताओं की संख्या	लंबाई (m)	चौड़ाई (m)	सफाई अंतराल के संबंध में तरल गहराई (m)	
			2 साल	3 साल
50	5.0	2.00	1.0	1.24
100	7.5	2.65	1.0	1.24
150	10.0	3.00	1.0	1.24
200	12.0	3.30	1.0	1.24
300	15.0	4.00	1.0	1.24

नोट:

a) सेप्टिक टैंक के डिजाइन में कम से कम 300 मि.मी. (mm) का एक फ्रीबोर्ड (freeboard) शामिल होना चाहिए।

b) सेप्टिक टैंक का आकार IS:2470 (part 1) से अनुमानित पीक डिस्चार्ज की मान्यताओं पर आधारित है और सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जाएगी।

c) 100 से अधिक की आबादी के लिए, टैंक को, रखरखाव और सफाई के लिए, स्वतंत्र समानांतर कक्षों में विभाजित किया जा सकता है।

d) पूर्व में बनें टैकों जो कि उपरोक्त मानकों को पूर्ण ना करतें हो, भवन स्वामियों द्वारा वर्ष में एक बार टैंक खाली करना अनिवार्य होगा।

iii. निर्माण विवरण

सेप्टिक टैंक का निर्माण करते समय निम्नलिखित विवरणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए

- सेप्टिक टैंकों का निर्माण ईंट के काम, पत्थर की चिनाई या कंक्रीट के इन-सीटू या प्री-कास्ट सामग्रियों से किया जा सकता है। एस्बेस्टस सीमेंट/ एच डी पी ई (HDPE) जैसी सामग्रियों से बने प्री-कास्ट टैंक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते वेपन रोक हों और स्थिर धरती (static earth) और सुपरिम्पोज्ड लोड (superimposed loads) को संभालने और स्थापित करने में पर्याप्त ताकत रखते हों।
- सभी सेप्टिक टैंक पर्याप्त शक्ति के पनरोक कवर के साथ प्रदान किए जाएंगे । टैंक के निरीक्षण और खाली करने के लिए पर्याप्त एक्सेस मैनहोल (न्यूनतम दो, अधिक लंबी दिशा की विपरीत छोरों पर एक-एक) भी प्रदान किए जाएंगे।
- टैंक का फर्श सीमेंट कंक्रीट का होना चाहिए और स्लज आउटलेट की ओर ढलान वाला होना चाहिए। सतहों को चिकना करने और उन्हें पनरोक करने के लिए फर्श और साइड की दीवार दोनों को सीमेंट मोर्टार से प्लास्टर किया जाएगा।
- टैंक के इनलेट और आउटलेट को एक-दूसरे से यथासंभव दूर और विभिन्न स्तरों पर स्थित होना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें उन स्तरों पर स्थित नहीं होना चाहिए जहां स्लज या मैल (sludge or scum) का निर्माण होता है।
- आउटलेट पाइप के इनवर्ट को इनलेट पाइप के इनवर्ट के स्तर से 5-7 cm के नीचे रखा जाना चाहिए।
- इनलेट और आउटलेट दोनों पर बाफ़ल उपलब्ध कराया जाना चाहिए और 25 cm से 30 cm तरल में डुबना चाहिए और तरल से 15 cm ऊपर रहना चाहिए। बफल्स को सीधे इनलेट पाइप के मुंह से टैंक की लंबाई के एक पांचवें हिस्से की दूरी पर रखा जाना चाहिए।
- बड़ी क्षमताओं के लिए इनलेट से टैंक की लंबाई की दो-तिहाई की दूरी पर विभाजन-दीवार के साथ निर्मित दो-कम्पार्टमेंट टैंक उचित होगा। ये दो कम्पार्टमेंट को स्लज भंडारण स्तर से ऊपर परस्पर जुड़ा होना चाहिए, पाइप या चौकोर उद्घाटन के माध्यम से, जिसका व्यास या साइड लंबाई 75 mm से कम नहीं है।
- प्रत्येक सेप्टिक टैंक को वैंटिलेशन पाइप के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, शीर्ष एक उपयुक्त मच्छर प्रूफ वायरमेष के साथ कवर किया जा रहा है। पाइप की ऊंचाई 20 मीटर के दायरे में उच्चतम इमारत के शीर्ष से कम से कम 2 मीटर ऊपर होनी चाहिए।

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत भिकियासैंण,
जिला–अल्मोड़ा।

ह0 (अस्पष्ट)
अध्यक्ष,
नगर पंचायत भिकियासैंण,
जिला–अल्मोड़ा।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 हिन्दी गजट/365–भाग 8–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।